

# लोक सभा द्वारा किए गए कार्य का सारांश

सत्रहवीं लोक सभा – पांचवां सत्र  
(29 जनवरी, 2021 से 25 मार्च, 2021)



लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली  
जुलाई, 2021 / आषाढ़, 1943 (शक)

टी.ओ. संख्या 4/17 एल.एस. खंड पांच

© 2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली-110 001 द्वारा मुद्रित।

## प्राक्कथन

इस प्रकाशन में सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान, अर्थात् 29 जनवरी, 2021 से 25 मार्च, 2021 तक किए गए कार्य का सारांश दिया गया है।

नई दिल्ली;

जुलाई, 2021

आषाढ़, 1943 (शक)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव



## विषय—सूची

पृष्ठ

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. सत्र की अवधि .....                                                                                        | 1  |
| 2. विधेयक                                                                                                    |    |
| (एक) सरकारी विधेयक .....                                                                                     | 2  |
| (दो) स्थायी समितियों को सौंपे गए विधेयक और उन पर प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया जाना/सभा पटल पर रखा जाना ..... | 6  |
| (तीन) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक .....                                                                     | 8  |
| 3. ध्यानाकर्षण .....                                                                                         | 10 |
| 4. लोक सभा की बैठकें .....                                                                                   | 11 |
| 5. समितियां                                                                                                  |    |
| (एक) वित्तीय समितियाँ .....                                                                                  | 12 |
| (दो) विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ .....                                                                 | 13 |
| (तीन) वित्तीय और स्थायी समितियों से भिन्न समितियां .....                                                     | 14 |
| 6. वित्तीय कार्य                                                                                             |    |
| (एक) केंद्रीय बजट .....                                                                                      | 17 |
| (दो) अनुदानों की अनुपूरक मांगें .....                                                                        | 20 |
| (तीन) जम्मू और कश्मीर का बजट .....                                                                           | 21 |
| (चार) पुदुचेरी का बजट .....                                                                                  | 21 |
| 7. प्रस्ताव                                                                                                  |    |
| (एक) नियमों के निलंबन के लिए नियम 388 के अधीन प्रस्ताव .....                                                 | 22 |
| (दो) नियम 191 और 342 के अधीन प्रस्ताव .....                                                                  | 23 |
| 8. शपथ/प्रतिज्ञान .....                                                                                      | 24 |
| 9. लोक सभा में रिक्त स्थान .....                                                                             | 25 |
| 10. निधन संबंधी एवं अन्य उल्लेख                                                                              |    |
| (एक) निधन संबंधी उल्लेख .....                                                                                | 26 |
| (दो) बधाई उल्लेख/महत्वपूर्ण अवसरों पर उल्लेख .....                                                           | 30 |
| (तीन) दुःखद घटनाओं संबंधी उल्लेख .....                                                                       | 31 |
| 11. सभापति तालिका .....                                                                                      | 32 |
| 12. सदस्यों द्वारा त्यागपत्र .....                                                                           | 33 |
| 13. उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य .....                                                                       | 34 |

|                                                                                                                                                        | पृष्ठ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 14. राष्ट्रपति का अभिभाषण .....                                                                                                                        | 35    |
| 15. सभा पटल पर रखे गए पत्र .....                                                                                                                       | 36    |
| 16. नियम 377 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण .....                                                                                                         | 37    |
| 17. सभा में सदस्यों द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार के मामले .....                                                                                          | 38    |
| 18. प्रश्न                                                                                                                                             |       |
| (एक) तारांकित प्रश्न .....                                                                                                                             | 39    |
| (दो) अतारांकित प्रश्न .....                                                                                                                            | 39    |
| (तीन) सभा पटल पर रखे गए उत्तर .....                                                                                                                    | 39    |
| (चार) अल्प सूचना प्रश्न .....                                                                                                                          | 39    |
| (पांच) आधे घंटे की चर्चा .....                                                                                                                         | 39    |
| (छह) मंत्रियों द्वारा पहले दिए गए उत्तरों में शुद्धि करने के लिए दिए गए वक्तव्य .....                                                                  | 39    |
| 19. संकल्प                                                                                                                                             |       |
| (एक) सांविधिक संकल्प .....                                                                                                                             | 40    |
| (दो) गैर—सरकारी सदस्यों के संकल्प .....                                                                                                                | 41    |
| 20. नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा .....                                                                                                             | 43    |
| 21. अध्यक्ष/सभापति—<br>घोषणाएं/टिप्पणियां/विनिर्णय .....                                                                                               | 45    |
| 22. वक्तव्य                                                                                                                                            |       |
| (एक) सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान नियम 372 के अधीन मंत्रियों द्वारा दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य .....                                | 47    |
| (दो) सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 73क के अधीन मंत्रियों द्वारा दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य .....         | 48    |
| (तीन) सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान सरकारी कार्य के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य.....             | 55    |
| (चार) सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि करने के संबंध में मंत्रियों द्वारा दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य ..... | 56    |
| (पांच) नियम 377 के अधीन मामले – सत्रहवीं लोक सभा के दौरान मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त होने के संबंध में स्थिति (16.07.2021 की स्थिति के अनुसार) .....  | 57    |
| (छह) सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र में शून्य काल के दौरान उठाए गए अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को दर्शाने वाला विवरण .....                        | 58    |

|                                                                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 23. सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान सभा में व्यवधानों और स्थगन के कारण नष्ट हुए समय को दर्शाने वाला विवरण .....                                                                                              | 59 |
| 24. गणपूर्ति की घंटी बजने की तारीख और समय को दर्शाने वाला विवरण—सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान तत्संबंधी विश्लेषण .....                                                                                     | 62 |
| 25. सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा सभा के बहिर्भूत किए जाने से संबंधित विवरण .....                                                                                                           | 63 |
| 26. माननीय अध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों और प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, वरिष्ठ सदस्य द्वारा 29.01.2021 से 13.02.2021 और 08.03.2021 से 25.03.2021 तक अध्यक्षपीठ में बिताए गए वास्तविक समय को दर्शाने वाला विवरण ..... | 64 |
| 27. सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु लिए गए समय को दर्शाने वाला विवरण .....                                                                                             | 70 |



## 1. सत्र की अवधि

**(17वीं लोक सभा का पांचवां सत्र)**

|                                             |   |                   |
|---------------------------------------------|---|-------------------|
| 1. सत्र आरंभ होने की तारीख                  | : | \$ 29 जनवरी, 2021 |
| 2. अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की तारीख | : | * 25 मार्च, 2021  |
| 3. सत्रावसान की तारीख                       | : | 29 मार्च, 2021    |
| 4. सत्र के दिनों की कुल संख्या              | : | 56                |
| 5. बैठकों के वास्तविक दिनों की संख्या       | : | # 24              |
| 6. बैठकों के घंटों की संख्या                | : | 131 घंटे 56 मिनट  |

---

\* सभा की पहली बैठक राष्ट्रगान की धुन बजाकर आरंभ हुई।

\* स्थायी समितियों को अनुदानों की मांगों पर विचार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु सभा 8.03.2021 को पुनः समवेत होने के लिए 13.2.2021 को स्थगित की गई।

# सत्र को 8.4.2021 (पहले के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत) के बजाए 25.03.2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, आगे के दिनों अर्थात् 26, 30 और 31 मार्च तथा 1, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल, 2021 के लिए नियत बैठकें रद्द की गईं। बैठक राष्ट्रीय गीत की धुन बजा कर समाप्त हुई।

## 2. विधेयक

### (एक) सरकारी विधेयक

| क्रमांक | विधेयक का नाम                                                                                                    | पुरस्थापन की सभा पटल पर रखे तारीख | जाने की तारीख<br>(राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने की दशा में) | लोक सभा में चर्चा की तारीख        |       | लिया गया समय | पेश किए गए संशोधनों की संख्या | रखीकृत संशोधनों की संख्या | प्राप्ति / टिप्पणी |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
|         |                                                                                                                  |                                   |                                                                      | च.                                | प्रि. |              |                               |                           |                    |
| 1.      | वित्त विधेयक, 2021                                                                                               | 01.02.2021                        | —                                                                    | 23.03.2021 (विचार तथा पारित करना) | 6     | 08           | 129                           | 109                       | पारित, यथा संशोधित |
| 2.      | माध्यस्थम और मुलह (संशोधन) विधेयक, 2021                                                                          | 04.02.2021                        | —                                                                    | —                                 | —     | 0            | 06 <sup>#</sup>               | 8                         | शून्य पारित        |
| 3.      | जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा यथापारित                                           | —                                 | —                                                                    | 12.02.2021 (विचार तथा पारित करना) | 02    | 28*          | 8                             | शून्य                     | पारित              |
| 4.      | दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) द्वारा (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा यथापारित | —                                 | —                                                                    | 08.02.2021 (विचार तथा पारित करना) | 3     | 57**         | 4                             | शून्य                     | पारित              |
|         |                                                                                                                  |                                   |                                                                      | 10.02.2021 (विचार तथा पारित करना) | 0     | 27           | 5                             | शून्य                     | पारित              |

# विधेयक का पुरस्थापन के समर पर विरोध किया गया और पुरस्थापन के विरोध के लिए समय लिया गया।

- \* विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा 4.11.2020 को प्रख्यापित मायास्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्याक 14), के निरस्तुतादात करने वाले सांविधिक संकलन के साथ बद्धी की गई थी।
- \*\* विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा 7.1.2021 को प्रख्यापित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश संख्याक 1) के निरस्तुतादात करने वाले सांविधिक संकलन के साथ बद्धी की गई थी।

| 1   | 2                                                                                          | 3                          | 4                                                                                                      | 5                                                                                                      | 6               | 7               | 8 | 9                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|
| 5.  | महापत्रन प्राधिकरण विद्येयक,<br>2021, राज्य सभा द्वारा संशोधनों<br>के साथ लौटाए गए रूप में | 12.03.2020<br>(पूर्व सत्र) | 11.02.2021<br>(राज्य सभा द्वारा<br>संशोधनों के साथ किए गए संशोधनों<br>लौटाए गए रूप में) पर विचार करना) | 12.02.2021<br>(राज्य सभा द्वारा<br>संशोधनों के साथ किए गए संशोधनों<br>लौटाए गए रूप में) पर विचार करना) | 0               | 02              | 4 | 4                       |
| 6.  | § अधिकरण सुधार (सुख्तवर्थीकरण<br>और सेवा शांति) विद्येयक, 2021                             | 13.02.2021                 | —                                                                                                      | —                                                                                                      | —               | —               | — | लाभित                   |
| 7.  | § सचिवालय (अनुसूचित जातिया)<br>आदेश (संशोधन) विद्येयक, 2021                                | 13.02.2021                 | —                                                                                                      | 19.03.2021 (विचार<br>तथा पारित करना)                                                                   | 2               | 07              | 3 | शून्य पारित             |
| 8.  | दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य<br>क्षेत्र शासन (संशोधन) विद्येयक,<br>2021                  | 15.03.2021                 | —                                                                                                      | 22.03.2021 (विचार<br>तथा पारित करना)                                                                   | 2               | 33              | 1 | शून्य पारित             |
| 9.  | खान और खनिज (विकास और<br>विनियमन) संशोधन विद्येयक,<br>2021                                 | 15.03.2021                 | —                                                                                                      | 0                                                                                                      | 05 <sup>#</sup> | —               | — | —                       |
| 10. | राष्ट्रीय औषध शिक्षा और<br>अनुसंधान संस्थान (संशोधन)<br>विद्येयक, 2021                     | 15.03.2021                 | —                                                                                                      | 19.03.2021 (विचार<br>तथा पारित करना)                                                                   | 3               | 26              | 5 | 1 पारित, यथा<br>संशोधित |
| 11. | किशोर न्याय (बालकों की<br>देखरेख और संरक्षण) संशोधन<br>विद्येयक, 2021                      | 15.03.2021                 | —                                                                                                      | —                                                                                                      | 0               | 03 <sup>#</sup> | — | लाभित                   |
|     |                                                                                            |                            |                                                                                                        | 24.03.2021 (विचार<br>तथा पारित करना)                                                                   | 3               | 58              | 3 | शून्य पारित             |

§ विद्येयक निर्देश 19के/19व्य की अपेक्षाओं को समाप्त किए जाने के उपरान्त फूँफ्यापित किया गया ।  
 # विद्येयक का फूँफ्यापन के रूप पर विरोध किया गया और फूँफ्यापन के विरोध के लिए समय लिया गया ।

| 1   | 2                                                                      | 3                          | 4                                                                                 | 5                                            | 6 | 7  | 8     | 9                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|----|-------|------------------------------|
| 12. | नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021                            | 15.03.2021                 | —                                                                                 | 22.03.2021<br>(विचार तथा पारित करना)         | 1 | 20 | शून्य | शून्य पारित                  |
| 13. | राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021, | —                          | 17.03.2021                                                                        | —                                            | — | —  | —     | लंबित                        |
| 14. | राष्ट्रीय सम्भाद्य और स्वास्थ्य देवरेव वृत्ति आयोग विधेयक, 2021,       | —                          | 17.03.2021                                                                        | 24.03.2021 (विचार तथा पारित करना)            | 2 | 51 | 2     | शून्य पारित                  |
| 15. | गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020                         | 02.03.2020<br>(पूर्व सत्र) | 17.03.2021<br>(राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ किए गए संशोधनों लोटाए गए रूप में) | 19.03.2021<br>पर विचार करना)                 | 0 | 02 | 2     | लोक सभा संशोधनों से सहमत हुई |
| 16. | विनियोग (सख्ताक 2) विधेयक, 2021                                        | 17.03.2021                 | —                                                                                 | 17.03.2021<br>(पुराना, विचार तथा पारित करना) | 0 | 02 | शून्य | शून्य पारित                  |
| 17. | विनियोग विधेयक, 2021                                                   | 18.03.2021                 | —                                                                                 | 18.03.2021<br>(पुराना, विचार तथा पारित करना) | 0 | 02 | शून्य | शून्य पारित                  |
| 18. | जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021                                      | 18.03.2021                 | —                                                                                 | 18.03.2021<br>(पुराना, विचार तथा पारित करना) | 0 | 02 | शून्य | शून्य पारित                  |

| 1   | 2                                                                     | 3          | 4          | 5                                                  | 6 | 7  | 8     | 9     | 10    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|---|----|-------|-------|-------|
| 19. | जम्मू-कश्मीर विनियोग<br>(संख्यात्क 2) विधेयक, 2021                    | 18.03.2021 | —          | 18.03.2021<br>(पुराणपन, विद्यार<br>तथा पारित करना) | 0 | 02 | शून्य | शून्य | पारित |
| 20. | पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021                                         | 18.03.2021 | —          | 18.03.2021<br>(पुराणपन, विद्यार<br>तथा पारित करना) | 0 | 02 | शून्य | शून्य | पारित |
| 21. | पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान)<br>विधेयक, 2021                          | 18.03.2021 | —          | 18.03.2021<br>(पुराणपन, विद्यार<br>तथा पारित करना) | 0 | 02 | शून्य | शून्य | पारित |
| 22. | बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021<br>राज्य सभा द्वारा यथापारित               | —          | 19.03.2021 | 22.03.2021<br>(विचार तथा पारित<br>करना)            | 2 | 35 | 1     | शून्य | शून्य |
| 23. | राष्ट्रीय अवरंगचना वित्तपोषण<br>और विकास बैंक विधेयक, 2021            | 22.03.2021 | —          | 23.03.2021<br>(विचार तथा पारित<br>करना)            | 2 | 42 | 5     | शून्य | पारित |
| 24. | भारतीय विमानपत्रन आशिक<br>विनियामक प्राधिकरण (संशोधन)<br>विधेयक, 2021 | 24.03.2021 | —          | —                                                  | — | —  | —     | —     | लाभित |

(दो) स्थायी समितियों को सौंपे गये विधेयक तथा उन पर प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना /  
सभा पटल पर रखा जाना

| क्रमांक | विधेयक का नाम                                                            | लोक सभा / राज्य सभा में प्रस्तुति की तारीख | अध्यक्ष / सभापति द्वारा सौंपे गये | समिति का नाम / सौंपे जाने की तारीख                   | प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने / सभा पटल पर रखे जाने की तारीख | टिप्पणी             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.      | डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रियोग और लागू होना) विनियम विधेयक, 2019            | 8.7.2019 (लोक सभा)                         | सभापति                            | विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन (18.10.2019) | 3.02.2021                                                     | लोक सभा में लम्बित  |
| 2.      | माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 | 11.12.2019 (लोक सभा)                       | अध्यक्ष                           | सामाजिक न्याय और अधिकारिता (23.12.2019)              | 29.01.2021                                                    | लोक सभा में लम्बित  |
| 3.      | समुद्री जलदरम्याता रोधी विधेयक, 2019                                     | 9.12.2019 (लोक सभा)                        | अध्यक्ष                           | विदेशी सामग्री (23.12.2019)                          | 11.02.2021                                                    | लोक सभा में लम्बित  |
| 4.      | फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020                                     | 14.09.2020 (लोक सभा)                       | अध्यक्ष                           | वित्त (25.09.2020)                                   | 03.02.2021                                                    | लोक सभा में लम्बित  |
| 5.      | सहायता प्राप्त जनतीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020                 | 14.09.2020 (लोक सभा)                       | सभापति                            | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (06.10.2020)              | 19.03.2021                                                    | लोक सभा में लम्बित  |
| 6.      | राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021           | 15.03.2021 (लोक सभा)                       | अध्यक्ष                           | रसायन और उर्वरक (16.04.2021)                         | —                                                             | समिति के पास लम्बित |
| 7.      | भारतीय विमानपत्रन आधिकारिक प्राधिकरण विधेयक, 2021                        | 24.03.2021 (लोक सभा)                       | सभापति                            | परिवहन, पर्यटन और साकृति (10.5.2021)                 | —                                                             | समिति के पास लम्बित |
| 8.      | नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020                                           | 23.03.2020 (राज्य सभा)                     | अध्यक्ष                           | कृषि (03.06.2021)                                    | —                                                             | समिति के पास लम्बित |

## सारांश

|     |                                                                                                                                          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | पिछले सत्र के अंत में लंबित विधेयक                                                                                                       | 6        |
| 2.  | पुरःस्थापित किए गए विधेयक                                                                                                                | 17       |
| 3.  | विधेयक जिनका पुरःस्थापन के समय विरोध किया गया                                                                                            | 3        |
| 4.  | राज्य सभा द्वारा पारित और सभा पटल पर रखे गए विधेयक                                                                                       | 5        |
| 5.  | राज्य सभा द्वारा पारित और लोक सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस किए गए विधेयक                                                                | कोई नहीं |
| 6.  | पूर्व सत्र के दौरान राज्य सभा द्वारा पारित और लोक सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस किए गए विधेयक                                            | कोई नहीं |
| 7.  | राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस किए गए और लोक सभा के पटल पर रखे गए विधेयक                                                            | 2        |
| 8.  | पारित किए गए विधेयक                                                                                                                      | 18       |
| 9.  | विधेयक जिनमें राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से लोक सभा सहमत हुई                                                                       | 2        |
| 10. | विधेयक जिनमें राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से लोक सभा सहमत नहीं हुई                                                                  | कोई नहीं |
| 11. | अस्वीकृत विधेयक                                                                                                                          | कोई नहीं |
| 12. | वापस लिए गए विधेयक                                                                                                                       | कोई नहीं |
| 13. | विधेयक – वाद–विवाद समाप्त हुआ लेकिन और प्रस्ताव नहीं लिया गया                                                                            | कोई नहीं |
| 14. | विधेयक पर वाद–विवाद स्थगित करने हेतु स्वीकृत प्रस्ताव                                                                                    | कोई नहीं |
| 15. | प्रवर समिति को सौंपे गए विधेयक                                                                                                           | कोई नहीं |
| 16. | संयुक्त समिति को सौंपे गए विधेयक                                                                                                         | कोई नहीं |
| 17. | विधेयक जिन पर प्रवर समिति ने प्रतिवेदन दिया                                                                                              | कोई नहीं |
| 18. | विधेयक जिन पर संयुक्त समिति ने प्रतिवेदन दिया                                                                                            | कोई नहीं |
| 19. | राज्य सभा में लाए गए और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति को सौंपे गए विधेयक जिनके बारे में सहमति के प्रस्ताव लोक सभा द्वारा स्वीकृत किए गए | कोई नहीं |
| 20. | सभापति / अध्यक्ष द्वारा स्थायी समितियों को सौंपे गए विधेयक                                                                               | 3        |
| 21. | विधेयक जिनके संबंध में स्थायी समितियों ने अपना प्रतिवेदन दिया                                                                            | 5        |
| 22. | सत्रहर्वीं लोक सभा के पांचवें सत्र की समाप्ति पर लंबित विधेयक                                                                            | 10       |

(तीन) \*गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

|         |                                       |                                                    |                                                                                          |                                                 |                           |                                                  |                                                   |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| क्रमांक | विधेयक का<br>नाम तथा<br>प्रभारी सदस्य | पुरकाल पर रखे जाने की<br>कौशल तरीख<br>विधेयक सदस्य | सभा पटल पर रखे जाने की<br>तरीख (राज्य सभा द्वारा<br>विधेयक पारित किए<br>जाने की दशा में) | लोक सभा में चर्चा<br>की तरीख<br>जाने की दशा में | लिया गया<br>समय<br>संख्या | पेश किए गए <sup>8</sup><br>संशोधनों की<br>संख्या | स्वीकृत संशोधनों की<br>प्राप्ति / दिएगी<br>संख्या |
|         |                                       |                                                    |                                                                                          |                                                 |                           |                                                  |                                                   |

— कोई नहीं —

\* सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य (विधेयक) नहीं लिया गया – 5.2.2021 को सभा का सम्पूर्ण थान होने के कारण गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य (विधेयक) नहीं लिया जा सका और 12.3.2021 के तिए नियत गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य (विधेयक) कार्य मत्रण समिति के बीचबैं प्रतिवेदन में की गई सिफारिश पर रद्द कर दिया गया।

**सारांश**  
**(गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक)**

- |                                                                                                  |   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| 1. पिछले सत्र के अंत में लम्बित विधेयक                                                           | : | 142                       |
| 2. पुरास्थापित किए गए विधेयक                                                                     | : | कोई नहीं                  |
| 3. वापस लिए गए विधेयक                                                                            | : | कोई नहीं                  |
| 4. अस्वीकृत किए गए विधेयक                                                                        | : | कोई नहीं                  |
| 5. लम्बित विधेयकों के रजिस्टर से हटाए गए विधेयक                                                  | : | कोई नहीं                  |
| 6. विधेयक जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई                                                        | : | 1 (दूसरे सत्र के अंत में) |
| 7. सत्र के अंत में लम्बित विधेयक, देखिए दिनांक 16.06.2021<br>के समाचार-भाग 2 का पैरा संख्या 2507 | : | 142                       |

### 3. \*ध्यानाकर्षण

| विषय               | सदस्य का नाम जिसने<br>ध्यान आकर्षित किया | मंत्री का नाम और जिस<br>तारीख को लिया गया | लिया गया<br>समय |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|                    |                                          |                                           | घं. मि.         |
| महिला<br>सशर्तीकरण | डॉ. बी.वी. सत्यवती                       | श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी<br>08.03.2021  | 0 26            |

\*ध्यानाकर्षण सूचना को नियम 193 के अंतर्गत चर्चा (अल्पकालिक चर्चा) में बदल दिया गया।

#### 4. लोक सभा की बैठकें (सत्रहर्वीं लोक सभा का पांचवां सत्र)

| क्रमांक | विषय                                                                                                           | दिनांक     | टिप्पणियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | सोमवार, 15 फरवरी, 2021 के लिए नियत बैठक का रद्द किया जाना और शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को बैठक का नियत किया जाना। | 29.01.2021 | कार्य मंत्रणा समिति (18वां प्रतिवेदन) की 29.1.2021 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय और इस पर 22.2.2021 को सभा की सहमति के अनुसार सोमवार, 15 फरवरी, 2021 के लिए नियत लोक सभा की बैठक को रद्द कर दिया गया और इसके बदले शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को सभा की बैठक हुई।                              |
| 2.      | शुक्रवार, 12 मार्च, 2021 के लिए नियत बैठक का रद्द किया जाना।                                                   | 8.3.2021   | कार्य मंत्रणा समिति (20वां प्रतिवेदन) की 8.3.2021 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय और इस पर 10.3.2021 को सभा की सहमति के अनुसार शुक्रवार, 12 मार्च, 2021 के लिए नियत लोक सभा की बैठक को रद्द कर दिया गया।                                                                                    |
| 3.      | 26, 30 और 31 मार्च, 2021 तथा 1, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल, 2021 के लिए नियत बैठकों का रद्द किया जाना।                | 25.3.2021  | सत्र 8 अप्रैल, 2021 को समाप्त होना निर्धारित था। लोकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण सभा 25 मार्च, 2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप पश्चातवर्ती दिनों अर्थात् 26, 30 और 31 मार्च, 2021 तथा 1, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल, 2021 के लिए नियत बैठकें रद्द हो गई। |

## 5. समितियां

**(एक) वित्तीय समितियां**

| क्रमांक | समिति का नाम                                                                      | गठन की तारीख                           | बैठकों की संख्या | अवधि           | सदस्यों की     |                            | किए गए अध्ययन दौरे | प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन | टिप्पणियां   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
|         |                                                                                   |                                        |                  |                | पं.            | मि.                        |                    |                           |              |
| 1.      | प्रावक्तव्य समिति                                                                 | 01.05.2020                             | 3                | 3              | 35             | 50.33%                     | 1                  | 3                         | 2            |
| 2.      | सरकारी उपकरणों संबंधी समिति                                                       | 01.05.2020                             | 8                | 05             | 05             | 43.18%                     | —                  | 7                         | 2            |
| 3.      | लोक लेखा समिति<br>लोक लेखा समिति की उप-समिति-तीन<br>लोक लेखा समिति की उप-समिति-एक | 01.05.2020<br>27.07.2020<br>27.07.2020 | 2<br>1<br>1      | 00<br>00<br>00 | 25<br>15<br>30 | 77.27%<br>71.42%<br>57.14% | —<br>—<br>—        | 5<br>10<br>—              | 26<br>—<br>— |

## (दे) विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ

| क्रमांक | समिति का नाम                                          | गठन की तरीख | वैठकों की संख्या | अवधि | सदस्यों की उपस्थिति का औसत प्रतिशत |              | किए गए अस्यान दौरे/स्थानीय दौरे | प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन टिप्पणियाँ |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|         |                                                       |             |                  |      | मि.                                | स्थानीय दौरे |                                 |                                      |
| 1.      | कृषि संबंधी समिति                                     | 13.09.2020  | 8                | 12   | 10                                 | 49.16%       | -                               | 05 10 - - -                          |
| 2.      | रसायन और उर्वरक संबंधी समिति                          | 13.09.2020  | 04               | 06   | 00                                 | 47%          | -                               | 07 07 - - -                          |
| 3.      | कोयला और इस्पात संबंधी समिति                          | 13.09.2020  | 05               | 09   | 00                                 | 50.96%       | -                               | 05 07 - - -                          |
| 4.      | खास संबंधी समिति                                      | 13.09.2020  | 06               | 17   | 35                                 | 58.06%       | -                               | 04 10 - - -                          |
| 5.      | ऊर्जा संबंधी समिति                                    | 13.09.2020  | 05               | 04   | 45                                 | 44.83%       | -                               | 03 09 06 - - -                       |
| 6.      | विदेशी मामलों संबंधी समिति                            | 01.09.2020  | 07               | 10   | 35                                 | 35.02%       | -                               | 02 03 - - -                          |
| 7.      | वित्त संबंधी समिति                                    | 13.09.2020  | 06               | 17   | 35                                 | 14%          | -                               | 07 13 - - -                          |
| 8.      | खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति | 13.09.2020  | 06               | 03   | 00                                 | 40%          | -                               | 04 - - -                             |
| 9.      | सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति                       | 13.09.2020  | 09               | 16   | 10                                 | 43.73%       | -                               | 05 08 02 - - -                       |
| 10.     | श्रम संबंधी समिति                                     | 13.09.2020  | 06               | 10   | 35                                 | 46.16%       | -                               | 04 06 - - -                          |
| 11.     | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति              | 13.09.2020  | 06               | 07   | 45                                 | 48.33%       | -                               | 02 02 - - -                          |
| 12.     | रेल संबंधी समिति                                      | 13.09.2020  | 02               | 02   | 15                                 | 53%          | -                               | 02 02 03 - - -                       |
| 13.     | ग्रामीण विकास संबंधी समिति                            | 13.09.2020  | 04               | 08   | 20                                 | 48.80%       | -                               | 03 06 07 - - -                       |
| 14.     | सामाजिक न्याय और आधिकारिता संबंधी समिति               | 13.09.2020  | 06               | 09   | 00                                 | 45.15%       | -                               | 05 08 - - -                          |
| 15.     | शहरी विकास संबंधी समिति                               | 13.09.2020  | 04               | 12   | 55                                 | 50%          | -                               | 01 04 02 - - -                       |
| 16.     | जल संसाधन संबंधी समिति                                | 13.09.2020  | 04               | 07   | 05                                 | 47.25%       | -                               | 02 - 01 - - -                        |

### (तीन) वित्तीय और स्थायी समितियों से भिन्न समितियाँ

| क्रमांक | समिति का नाम                                                                                                | गठन की तारीख         | बैठकों की संख्या | अवधि<br>घ. | सदस्यों की<br>आंखियाँ<br>औसत<br>प्रतिशत | किए गए <sup>a</sup><br>उपस्थिति का अवधिपन दरों/<br>स्थानीय दरों | प्रस्तुत किए गए <sup>a</sup><br>प्रतिवेदन | प्रस्तुत किए गए <sup>a</sup><br>प्रतिवेदन | टिप्पणियाँ |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----|
|         |                                                                                                             |                      |                  |            |                                         |                                                                 |                                           |                                           |            |    |
| 1       | 2                                                                                                           | 3                    | 4                | 5          | 6                                       | 7                                                               | 8                                         | 9                                         | 10         | 11 |
| 1.      | सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुस्थिति                                                                       | 09.10.2019           | 02               | 01         | 10                                      | 63.33%                                                          | —                                         | 02                                        | —          | —  |
| 2.      | आवास समिति                                                                                                  | 25.06.2020           | 01               | 01         | 30                                      | 50%                                                             | —                                         | —                                         | —          | —  |
| 3.      | संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति                                                         | अमी गठित नहीं हुई है | —                | —          | —                                       | —                                                               | —                                         | —                                         | —          | —  |
| 4.      | आचार समिति                                                                                                  | 09.10.2020           | 01               | 00         | 40                                      | 33.33%                                                          | —                                         | —                                         | —          | —  |
| 5.      | विशेषाधिकार समिति                                                                                           | 16.10.2020           | 02               | 04         | 27                                      | 53.33%                                                          | —                                         | —                                         | —          | —  |
| 6.      | नयाचार सञ्जियमां के उल्लंघन तथा लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों का अवमाननार्थ व्यवहार संबंधी समिति | अमी गठित नहीं हुई है | —                | —          | —                                       | —                                                               | —                                         | —                                         | —          | —  |
| 7.      | गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति                                                    | अमी गठित नहीं हुई है | —                | —          | —                                       | —                                                               | —                                         | —                                         | —          | —  |
| 8.      | अधीनस्थ विधान संबंधी समिति                                                                                  | 09.10.2020           | 07               | 06         | 00                                      | 50.40%                                                          | —                                         | 04                                        | —          | —  |
| 9.      | सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति                                                                       | 09.10.2020           | 03               | 02         | 00                                      | 33.33%                                                          | —                                         | 05                                        | —          | —  |
| 10.     | लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति                                                                            | 16.09.2019           | 01               | 00         | 45                                      | 66.66%                                                          | —                                         | —                                         | —          | —  |
| 11.     | नियम समिति                                                                                                  | 09.10.2019           | —                | —          | —                                       | —                                                               | —                                         | —                                         | —          | —  |
| 12.     | *समाचार प्रयोजनों संबंधी समिति                                                                              | 21.11.2019           | 01               | 01         | 15                                      | 75%                                                             | —                                         | —                                         | —          | —  |

\*सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति (जीपीसी) का कोई भी प्रतिवेदन तैयार करके सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

| 1   | 2                                                                                                                  | 3                    | 4  | 5  | 6  | 7      | 8 | 9  | 10 | 11 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|----|--------|---|----|----|----|
| 13. | संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और अभी गठित नहीं हुई है संसदविदों के विचारपत्रिमाएं लगाने संबंधी संयुक्त समिति |                      |    |    |    |        |   |    |    |    |
| 14. | संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त अभी गठित नहीं हुई है समिति                                         |                      |    |    |    |        |   |    |    |    |
| 15. | संसद भवन परिसर के विरासत स्वरूप के अभी गठित नहीं हुई है रख-रखाव और विकास संबंधी संयुक्त समिति                      |                      |    |    |    |        |   |    |    |    |
| 16. | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति                                                     | 01.05.2020           | 02 | 3  | 30 | 43.3%  |   |    |    | 1  |
| 17. | प्रथातरय समिति                                                                                                     | 09.10.2020           | 02 | 02 | 00 | 49%    |   |    |    |    |
| 18. | कार्य मंत्रण समिति                                                                                                 | 20.06.2019           | 04 | 02 | 05 | 61.66% |   | 4  |    |    |
|     | (20.06.2020 को पुनर्गठित)                                                                                          |                      |    |    |    |        |   |    |    |    |
| 19. | संसद सदस्यों के बैठन तथा भर्तों संबंधी संयुक्त समिति                                                               | 05.12.2020           | 01 | 00 | 45 | 40%    |   |    |    |    |
| 20. | सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति                                                                                      | 09.10.2020           | 02 | 01 | 45 | 40%    |   |    | 32 |    |
| 21. | याचिका समिति                                                                                                       | 16.10.2020           | 03 | 04 | 00 | 37%    |   | 06 | 04 |    |
| 22. | महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति                                                                       | 09.10.2020           | 05 | 10 | 00 | 39.86% |   | -  | 01 |    |
| 23. | रेल अभियान समिति                                                                                                   | अभी गठित नहीं हुई है |    | -  | -  | -      |   | -  | -  |    |

| 1   | 2                                                                     | 3                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 24. | अन्य पिछड़े वर्गों के कार्यकाण संबंधी समिति                           | 31.07.2019*          | — | — | — | — | — | — | —  | —  |
| 25. | संसद भवन परिसर में सुरक्षा संबंधी संयुक्त संसदीय समिति                | अमी गठित नहीं हुई है | — | — | — | — | — | — | —  | —  |
| 26. | लोक सभा सदस्यों के लिए कंप्यूटरों का प्रावधान संबंधी समिति            | अमी गठित नहीं हुई है | — | — | — | — | — | — | —  | —  |
| 27. | वैयक्तिक डाटा संक्षण विदेशक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति (जेसीपीडीपीबी) | 11.12.2019           | — | — | — | — | — | — | —  | —  |

\*समिति का कार्यकाल 30.07.2020 को समाप्त हो गया।

## 6. वित्तीय कार्य

| विषय                                                         | प्रस्तुत किए जाने की तारीख | चर्चा की तारीख(छें)                                  | लिया गया समय   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                            | 2                          | 3                                                    | 4              |
| वर्ष 2021–22 के लिए केंद्रीय बजट                             | 01.02.2021                 | 10.02.2021<br>11.02.2021 सामान्य चर्चा<br>13.02.2021 | 01 49<br>14 42 |
| मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान – |                            |                                                      |                |
| 1. रेल                                                       |                            | 10.03.2021<br>15.03.2021<br>16.03.2021               | 09 21          |
| 2. शिक्षा                                                    |                            | 16.03.2021                                           | 07 26          |
| 3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण                                |                            | 17.03.2021                                           | 04 56          |

| 1                                                                          | 2             | 3  | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|
| मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों का गिलोटिन किया जाना:-            |               |    |    |
| 1. कृषि और किसान केत्या                                                    |               |    |    |
| 2. परसाणु ऊर्जा विभाग                                                      |               |    |    |
| 3. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) |               |    |    |
| 4. रसायन और उर्वरक                                                         |               |    |    |
| 5. नागर विभानन मंत्रालय                                                    |               |    |    |
| 6. कोशला                                                                   |               |    |    |
| 7. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय                                              |               |    |    |
| 8. संचार मंत्रालय                                                          |               |    |    |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण                                   |               |    |    |
| 9. कौर्परिट कार्य                                                          |               |    |    |
| 10. संरक्षित                                                               |               |    |    |
| 11. रक्षा                                                                  |               |    |    |
| 12. उत्तर पर्वी क्षेत्र विकास                                              |               |    |    |
| 13. पृथ्वी विज्ञान                                                         |               |    |    |
| इलेक्ट्रॉनिकों और सूचना प्रौद्योगिकी                                       |               |    |    |
| 14. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन                                        |               |    |    |
| 15. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन                                        |               |    |    |
| 16. विदेश                                                                  |               |    |    |
| 17. वित्त                                                                  |               |    |    |
| मत्स्यपालन, पशुपालन और डेवरी                                               |               |    |    |
| 18. खाद्य प्रसरकण उद्योग                                                   |               |    |    |
| 19. भारी उद्योग और लोक उद्यम                                               |               |    |    |
| 20. भारी उद्योग और लोक उद्यम                                               |               |    |    |
| 21. गृह                                                                    |               |    |    |
| आवासन और शहरी कार्य                                                        |               |    |    |
| 22. सूचना और प्रसारण                                                       |               |    |    |
| 23. जल शक्ति                                                               |               |    |    |
| 24. श्रम और रोजगार                                                         |               |    |    |
| 25. विधि और न्याय                                                          |               |    |    |
| 26. सूखम्, लघु और मध्यम उद्यम                                              |               |    |    |
| 27.                                                                        | (17.03.2021)  | 00 | 06 |
| 28.                                                                        | सायं 6.03 बजे |    |    |

| 1                                      | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------|---|---|---|
| 29. ख्यान                              |   |   |   |
| 30. अल्पसंख्यक कार्य                   |   |   |   |
| 31. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा             |   |   |   |
| 32. पंचायती राज                        |   |   |   |
| 33. संसदीय कार्य                       |   |   |   |
| 34. कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन        |   |   |   |
| 35. प्रेस्टोलियन और प्राकृतिक गेस      |   |   |   |
| 36. योजना                              |   |   |   |
| 37. पत्रन, पोत परिवहन और जलमार्ग       |   |   |   |
| 38. विद्युत                            |   |   |   |
| 39. लोक सभा                            |   |   |   |
| 40. राज्य सभा                          |   |   |   |
| 41. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय           |   |   |   |
| 42. सड़क परिवहन और राजमार्ग            |   |   |   |
| 43. ग्रामीण विकास                      |   |   |   |
| 44. विज्ञान और प्रौद्योगिकी            |   |   |   |
| 45. कोशल विकास और उद्यमशीलता           |   |   |   |
| 46. सामाजिक चाय और अधिकारिता           |   |   |   |
| 47. अंतर्रिक्ष                         |   |   |   |
| 48. सांस्थिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन |   |   |   |
| 49. इस्पात                             |   |   |   |
| 50. वर्तन                              |   |   |   |
| 51. पर्यटन                             |   |   |   |
| 52. जनजातीय कार्य                      |   |   |   |
| 53. महिला और बाल विकास                 |   |   |   |
| 54. युवक कार्यक्रम और खेल              |   |   |   |

(17.03.2021)  
सायं 6.03 बजे

| विषय                                                       | प्रस्तुत किए जाने की तारीख | चर्चा की तरीख(खेल)                                                             | लिया गया समय<br>चं. मि.  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>(दो) अनुदानों की अनुपूरक मांगें</b>                     |                            |                                                                                |                          |
| वर्ष 2020–21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (दूसरा वेच) | 11.02.2021                 | 18.03.2021<br>वर्ष 2020–21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें पर चर्चा और मतदान | 03                    37 |

| विषय                                                                            | प्रस्तुत किए जाने की तारीख | चर्चा की तारीख(छे)                                                                         | तिया गया समय                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                 |                            |                                                                                            | घं. मि.                                                                                    | घं. मि.    |
| वर्ष 2020–21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) | 17.03.2021                 | (तीन) जम्मू और कश्मीर बजट                                                                  | #अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र)           | 18.03.2021 |
| वर्ष 2021–22 के लिए अनुदानों की मांगें (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र)       | 17.03.2021                 | #सामान्य चर्चा<br>#अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) | #सामान्य चर्चा<br>#अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) | 18.03.2021 |
| वर्ष 2020–21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (पुढ़चेरी संघ राज्यक्षेत्र)        | 17.03.2021                 | (चार) पुढ़चेरी बजट                                                                         | #अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान (पुढ़चेरी संघ राज्यक्षेत्र)                  | 18.03.2021 |
| वर्ष 2021–22 के लिए अनुदानों की मांगें (पुढ़चेरी संघ राज्यक्षेत्र)              | 17.03.2021                 | #सामान्य चर्चा<br>#लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान (पुढ़चेरी संघ राज्यक्षेत्र)     | #सामान्य चर्चा<br>#लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान (पुढ़चेरी संघ राज्यक्षेत्र)     | 18.03.2021 |

# एक साथ चर्चा की गई।

## 7. प्रस्ताव

### (एक) नियमों के निलंबन के लिए नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

| संक्षिप्त विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पेश करने वाले सदस्य का नाम | चर्चा की तारीख(खें) | लिया गया समय |     | टिप्पणी |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                     | घं.          | मि. |         |
| “कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या* 20, 31, 42, 46, 53, 63, 64, 67, 122, 123 और 126 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और इन संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए”। | श्रीमती निर्मला सीतारमण    | 23.3.2021           | 0            | 05  | स्वीकृत |

\* ग्यारह पृथक प्रस्तावों को पेश और स्वीकृत किया गया।

(दो) नियम 191 और 342 के अधीन प्रस्ताव

### सारांश

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| प्राप्त सूचनाओं की संख्या            | : | शून्य |
| स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या         | : | शून्य |
| चर्चा किए गए प्रस्तावों की संख्या    | : | शून्य |
| पूर्ण की गई चर्चाओं की संख्या        | : | शून्य |
| आंशिक रूप से की गई चर्चाओं की संख्या | : | शून्य |
| लिया गया कुल समय                     | : | शून्य |

## 8. शपथ/प्रतिज्ञान

| सदस्य का नाम     | निर्वाचन क्षेत्र/राज्य | शपथ/<br>प्रतिज्ञान | भाषा जिसमें<br>शपथ/प्रतिज्ञान<br>ली गई | शपथ/प्रतिज्ञान<br>की तारीख | लिया गया<br>समय |
|------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                  |                        |                    |                                        |                            | घं. मि.         |
| श्री सुनील कुमार | वाल्मीकि नगर/बिहार     | शपथ                | हिन्दी                                 | 29.01.2021                 | 00 01           |

**5वां सत्र, 17वीं लोक सभा**

**9. लोक सभा में स्थानों का रिक्त होना**

| क्र.<br>सं. | सदस्य/निर्वाचन क्षेत्र/राज्य का नाम                                                             | स्थान के रिक्त<br>होने की<br>तारीख | टिप्पणी                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | श्री सुरेश सी. अंगड़ी बेलगाम/कर्नाटक                                                            | 23.09.2020                         | 23.09.2020 को निधन हुआ।<br>(निधन संबंधी उल्लेख<br>29.01.2021 को सभा में किया गया)    |
| 2.          | श्री पी. के. कुन्हालीकुट्टी मल्लपुरम/केरल                                                       | 03.02.2021                         | 03.02.2021 को त्यागपत्र दिया।<br>(घोषणा 04.02.2021 को सभा<br>में की गई)              |
| 3.          | श्री मोहन एस. देलकर दादरा और नगर<br>हवेली/दादरा और नगर हवेली तथा दमण<br>और दीव संघ राज्यक्षेत्र | 22.02.2021                         | 22.02.2021 को निधन हुआ।<br>(निधन संबंधी उल्लेख<br>08.03.2021 को सभा में<br>किया गया) |
| 4.          | श्री नंद कुमार सिंह चौहान खण्डवा/<br>मध्य प्रदेश                                                | 02.03.2021                         | 02.03.2021 को निधन हुआ।<br>(निधन संबंधी उल्लेख<br>08.03.2021 को सभा में किया गया)    |
| 5.          | श्री रामस्वरूप शर्मा मन्डी/हिमाचल प्रदेश                                                        | 17.03.2021                         | 17.03.2021 को निधन हुआ।<br>(निधन संबंधी उल्लेख<br>17.03.2021 को सभा में किया गया)    |

## 10. निधन संबंधी और अन्य उल्लेख

(एक) निधन संबंधी उल्लेख

| क्र.सं. | सदस्य/गणमान्य का नाम                                                                                                                                       | निधन की तारीख |   | निधन संबंधी<br>उल्लेख की तारीख | लिया गया<br>समय |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------|
|         |                                                                                                                                                            | 3             | 5 |                                |                 |
| 1.      | # श्री सुरेश सी. अंगड़ी<br>(वर्तमान सदस्य और सदस्य, चौदहर्वी, पंद्रहर्वी और सोलहर्वी लोक सभा)                                                              | 23.09.2020    |   |                                |                 |
| 2.      | # श्री राम विलास पारसवान<br>(वर्तमान सदस्य, राज्य सभा और सदस्य, छठी, सातर्वी, नौर्वी, दसर्वी, चायरहर्वी, बारहर्वी, तेरहर्वी, चौदहर्वी और सोलहर्वी लोक सभा) | 08.10.2020    |   |                                |                 |
| 3.      | श्री रामकृष्ण बाबा पाटिल<br>(सदस्य, बारहर्वी लोक सभा)                                                                                                      | 02.09.2020    |   |                                |                 |
| 4.      | डॉ. हरी सिंह<br>(सदस्य, चायरहर्वी लोक सभा)                                                                                                                 | 11.09.2020    |   |                                |                 |
| 5.      | श्री तीलाधारमाई खेडाजी वाघेला<br>(सदस्य, सोलहर्वी लोक सभा)                                                                                                 | 16.09.2020    |   |                                |                 |
| 6.      | डॉ. ए. कलानिष्ठि<br>(सदस्य, सातर्वी और आठर्वी लोक सभा)                                                                                                     | 18.09.2020    |   |                                |                 |
| 7.      | श्री जसवंत सिंह<br>(सदस्य, नौर्वी, दसर्वी, च्या रहर्वी और पंद्रहर्वी लोक सभा)                                                                              | 27.09.2020    |   |                                |                 |
| 8.      | श्री राष्ट्रिद मसूद<br>(सदस्य, छठी, सातर्वी, नौर्वी, दसर्वी और चौदहर्वी लोक सभा)                                                                           | 05.10.2020    |   |                                |                 |

|     |                                                                                              |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.  | डॉ. कार्तिकेश्वर पात्र<br>(सदस्य, दसर्वीं लोक सभा)                                           | 05.10.2020 |
| 10. | श्री सो.एम. चाग<br>(सदस्य, पंद्रहवीं लोक सभा)                                                | 12.10.2020 |
| 11. | श्री महेश कुमार कर्णोडिया<br>(सदस्य, दसर्वीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा)         | 25.10.2020 |
| 12. | श्री अबू आयेश मण्डल<br>(सदस्य, चौदहवीं लोक सभा)                                              | 06.11.2020 |
| 13. | डॉ. महादीपक सिंह शाक्य<br>(सदस्य, पाचवीं, छठीं, नवीं, दसर्वीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा) | 10.11.2020 |
| 14. | श्रीमती चंद्रावती<br>(सदस्य, छठीं लोक सभा)                                                   | 15.11.2020 |
| 15. | श्री सरदार मोहिदर सिंह गिल<br>(सदस्य, पाचवीं लोक सभा)                                        | 17.11.2020 |
| 16. | श्री तरुण गोगोई<br>(सदस्य, पांचवीं, छठीं, सातवीं, दसर्वीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा)       | 23.11.2020 |
| 17. | श्री अहमद एम. पटेल<br>(सदस्य, छठीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा)                                 | 25.11.2020 |
| 18. | श्रीमती किरण माहेश्वरी<br>(सदस्य, चौदहवीं लोक सभा)                                           | 30.11.2020 |
| 19. | श्री पृथ्यी राज<br>(सदस्य, तीसरी लोक सभा)                                                    | 02.12.2020 |
| 20. | श्री रामलाल राहीं<br>(सदस्य, छठीं, सातवीं, नवीं और दसर्वीं लोक सभा)                          | 10.12.2020 |
| 21. | श्री राधिका रंजन प्रमाणिक<br>(सदस्य, नवीं, दसर्वीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा)   | 13.12.2020 |

05.10.2020                          12.10.2020                          25.10.2020                          06.11.2020                          10.11.2020                          15.11.2020                          17.11.2020                          23.11.2020                          25.11.2020                          30.11.2020                          02.12.2020                          10.12.2020                          13.12.2020

29.01.2021                          00                          15

| 1   | 2                                                                                                             | 3          | 4 | 5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|
| 22. | श्री सत्य देव सिंह<br>(सदस्य, छठी, दसर्वी और ग्यारहवीं लोक सभा)                                               | 16.12.2020 |   |   |
| 23. | श्री मोहन रावले<br>(सदस्य, दसर्वी, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा)                            | 19.12.2020 |   |   |
| 24. | श्री मनीलाल वोगा<br>(सदस्य, बारहवीं लोक सभा)                                                                  | 21.12.2020 |   |   |
| 25. | श्री मदनलाल शमर्फ<br>(सदस्य, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा)                                                    | 23.12.2020 |   |   |
| 26. | श्री जमाल ख्वाजा<br>(सदस्य, दुसरी लोक सभा)                                                                    | 24.12.2020 |   |   |
| 27. | सरदार बटा सिंह<br>(सदस्य, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं, दसवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा)             | 02.01.2021 |   |   |
| 28. | #श्री मोहन एम. देलकर<br>(वर्तमान सदस्य तथा सदस्य, नौवीं, दसवीं, चारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा) | 22.02.2021 |   |   |
| 29. | #श्री नंद कुमार सिंह चौहान<br>(वर्तमान सदस्य तथा सदस्य, चारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और सोलहवीं लोक सभा)         | 02.03.2021 |   |   |
| 30. | श्री राजेंद्र कुमार शर्मा<br>(सदस्य, छठी और दसर्वी लोक सभा)                                                   | 20.08.2020 |   |   |
| 31. | श्री सरत कर<br>(सदस्य, छठी लोक सभा)                                                                           | 12.10.2020 |   |   |
| 32. | श्री एम.आर. कांदबुर जनार्तनन<br>(सदस्य, आठवीं, नौवीं, दसर्वी और बारहवीं लोक सभा)                              | 26.12.2020 |   |   |

|     |                                                                                       |            |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 33. | <b>श्री एम. दीवीकन</b><br>(सदस्य, चौथी और पांचवीं लोक सभा)                            | 11.01.2021 | } |
| 34. | <b>श्री महेशर भगेश</b><br>(सदस्य, चौदहवीं लोक सभा)                                    | 16.01.2021 |   |
| 35. | <b>कैटन सतीश शर्मा</b><br>(सदस्य, दसवीं चारहवीं और तेरहवीं लोक सभा)                   | 17.02.2021 | } |
| 36. | <b># श्री पंडियन</b><br>(सदस्य, नौवीं और दसवीं लोक सभा)                               | 26.02.2021 |   |
| 37. | <b># श्री रामपत्रलय शर्मा</b><br>(वर्तमान सदस्य और सदस्य, सोलहवीं लोक सभा)            | 17.03.2021 | } |
| 38. | <b>श्री मनोहर लाल सेठी</b><br>(सदस्य, छठी और सातवीं लोक सभा)                          | 08.03.2021 |   |
| 39. | <b>श्री मोहनभाई पटेल</b><br>(सदस्य, सातवीं और आठवीं लोक सभा)                          | 05.03.2021 | } |
| 40. | <b>श्री दिवीपकुमार मनसुखलाल गांधी</b><br>(सदस्य, तेरहवीं, पचदहवीं और सालहवीं लोक सभा) | 22.03.2021 |   |
|     | <b># दिवंगत आत्माओं के समान में सभा एक घंटे के लिए खण्डित हुई।</b>                    | 17.03.2021 |   |

(दो) बधाई संबंधी उल्लेख / ऐतिहासिक अवसर संबंधी उल्लेख

| क्र.<br>सं. | घटना का नाम                                                                | घटना की<br>तारीख | उल्लेख की<br>तारीख | लिया गया<br>समय |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|             |                                                                            |                  |                    | घं. मि.         |
| 1.          | अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उल्लेख।                              | 08.03.2021       | 08.03.2021         | 00 01           |
| 2.          | शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव की शहादत की वर्षगांठ पर उल्लेख। | 23.03.1931       | 23.03.2021         | 00 01           |

### (तीन) दुःखद घटनाओं संबंधी उल्लेख

| घटना का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                  | घटना की तारीख | उल्लेख की तारीख | लिया गया समय |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | घं. मि.      |
| सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के सिपाहियों जिन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की और कोरोना योद्धाओं जिन्होंने कोविड-19 वैशिक महामारी के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, के क्रमशः निधन संबंधी उल्लेख। | —             | 29.01.2021      | 00 01        |

## 11. सभापति तालिका, 17वीं लोक सभा

| क्र. सं. | सदस्य का नाम              | नामनिर्देशन की तारीख    |
|----------|---------------------------|-------------------------|
| 1.       | श्रीमती रमा देवी          | 21.06.2019*             |
| 2.       | डॉ. किरिट पी. सोलंकी      | —तदैव—                  |
| 3.       | श्री राजेंद्र अग्रवाल     | —तदैव—                  |
| 4.       | श्रीमती मीनाक्षी लेखी     | —तदैव—                  |
| 5.       | श्री कोडिकुन्नील सुरेश    | 24.06.2019**            |
| 6.       | श्री ए. राजा              | 25.06.2019^             |
| 7.       | श्री पी. वी. मिधुन रेण्डी | —तदैव—                  |
| 8.       | श्री भर्तुहरि महताब       | —तदैव—                  |
| 9.       | श्री एन.के. प्रेमचंद्रन   | 02.07.2019@             |
| 10.      | डॉ. काकोली घोष दस्तीदार   | 04.07.2019 <sup>#</sup> |

\* 21.06.2019 को सभा में घोषणा की गई।

\*\* 25.06.2019 को सभा में घोषणा की गई।

^ 26.06.2019 को सभा में घोषणा की गई।

@ 03.07.2019 को सभा में घोषणा की गई।

# 04.07.2019 को सभा में घोषणा की गई।

## 12. सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

| सदस्य का नाम                  | निर्वाचन क्षेत्र | राज्य | त्यागपत्र की तारीख | सभा में घोषणा<br>किए जाने की<br>तारीख |
|-------------------------------|------------------|-------|--------------------|---------------------------------------|
| श्री पी.के.<br>कुन्हालीकुम्ही | मल्लपुरम         | केरल  | 03.02.2021         | 04.02.2021                            |

### 13. उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य

| सदस्य का नाम     | निर्वाचन क्षेत्र/राज्य | निर्वाचित किए जाने की तारीख | रिकि जिसके विरुद्ध निर्वाचित घोषित किए गए                                    |
|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| श्री सुनील कुमार | वाल्मीकी नगर/बिहार     | 10.11.2020                  | श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो<br>जिनका निधन 28.02.2020<br>को हुआ था, के स्थान पर |

#### 14. राष्ट्रपति का अभिभाषण

| अभिभाषण<br>की तरीख | धन्यवाद<br>प्रस्ताव पर<br>चर्चा की<br>तारीख(ख) | प्रस्ताव करने<br>तथा समर्थन<br>करने वाले<br>सदस्य | पेश किए गए<br>सशोधनों की<br>संख्या | गृहीत/<br>परिचालित<br>सशोधनों की<br>संख्या | आगे बढ़ाए<br>गए संशोधनों<br>की संख्या | धन्यवाद<br>प्रस्ताव स्वीकृ<br>त होने की<br>तरीख | लिया गया<br>समय<br>घं. | राष्ट्रपति का<br>सदैश रिपोर्ट<br>किए जाने की<br>तरीख |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 29.01.2021         | 02.02.2021                                     | श्रीमती लॉकेट<br>चटर्जी                           | 429                                | 218                                        | -                                     | 10.02.2021                                      | 16                     | 58                                                   |
|                    | 08.02.2021                                     | डॉ. वीरेन्द्र<br>कुमार                            |                                    |                                            |                                       | 08.03.2021                                      |                        |                                                      |
|                    | 09.02.2021                                     |                                                   |                                    |                                            |                                       |                                                 |                        |                                                      |
|                    | 10.02.2021                                     |                                                   |                                    |                                            |                                       |                                                 |                        |                                                      |

## 15. सभा पटल पर रखे गए पत्र

|                               |   |          |
|-------------------------------|---|----------|
| (क) सरकार द्वारा              | — | 3591     |
| (ख) गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा | — | कोई नहीं |

## 16. वैयक्तिक स्पष्टीकरण – नियम 357 के अधीन

-01-

[श्री अमित शाह ने 09.02.2021 को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा 8 फरवरी, 2021 को की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया]

## 17. सभा में सदस्यों द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार के मामले

| क्र. सं. | संक्षिप्त विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मामला उठाने वाले सदस्यों का नाम                                          | सभा के समस्त सदस्यों की तारीख और समय | अध्यक्षपाठी/सभा का निर्णय                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | श्री एन. प्रेमचंदन, संसद सदस्य द्वारा सभा की अवस्थाना करने के लिए माननीय कृषि मंत्री के विरुद्ध दी गई दिनांक 3 फरवरी, 2021 के विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।                                                                                                                                       | श्री एन.के. प्रेमचंदन, संसद सदस्य                                        | 9 फरवरी, 2021 को 1645 बजे            | ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। मैं आपकी सूचना की जावा करूँगा।                                 |
| 2.       | श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा कथित रूप से भ्रामक वरक्य देने के लिए श्री अधीर रंजन चौधरी के विरुद्ध दी गई दिनांक 9 फरवरी, 2021 की विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना।                                                                                                                        | श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य                                           | 9 फरवरी, 2021 को 2240 बजे            | “सूचना सक्रिय रूप से माननीय लोक सभा अध्यक्ष के विचाराधीन है।”                             |
| 3.       | राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रतावाव के द्वारा अपवादक और असरदीय भाषण देने के लिए सुश्री महुआ मोड़ला, संसद सदस्य के विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 121 और नियम 226, 227, 280 निवेश 115(1) के साथ पठित के अधीन दी गई सूचना।                                                                 | श्री पी. पी. चौधरी और डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य                      | 10 फरवरी, 2021 को 1955 बजे           | “सूचना सक्रिय रूप से माननीय लोक सभा अध्यक्ष के विचाराधीन है और इसे उनके पास ही रहने दें।” |
| 4.       | डॉ. निशिकांत दुबे, डॉ. संजय जायसवाल, संविधान सिंह, राजेंद्र अग्रवाल और पी. पी. चौधरी द्वारा 11 फरवरी, 2021 को कंक्रीय बजट पर भाषण देने के द्वारा कथित रूप से अपनिजनक टिप्पणी करने के लिए श्री राहुल गांधी, संसद सदस्य के विरुद्ध दी गई दिनांक 12 फरवरी, 2021 की विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना। | श्री संजय जायसवाल, श्री राजेंद्र अग्रवाल, श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य | 12 फरवरी, 2021 को 2100 बजे           | (शून्य)                                                                                   |
| 5.       | श्रीमती नवनित रवि राणा, संसद सदस्य द्वारा शूच काल के दौरान महाराष्ट्र में जारी ज्वलत मुद्दों को उठाए जाने पर उनको कथित रूप से धमकाए जाने के लिए श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य के विरुद्ध दी गई दिनांक 22 फरवरी, 2021 की सूचना/सिकायत।                                                               | श्रीमती नवनित रवि राणा, संसद सदस्य                                       | 24 मार्च, 2021 को 2020 बजे           | (शून्य)                                                                                   |

## 18. प्रश्न

|                                                                                                                                                                                                                 |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| <b>(एक) तारांकित प्रश्न</b>                                                                                                                                                                                     |  |          |
| (क) मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्न सूचियों में शामिल किए गए प्रश्नों की संख्या                                                                                                                                     |  | 440      |
| (ख) मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या                                                                                                                                                                |  | 84       |
| <b>(दो) अतारांकित प्रश्न</b>                                                                                                                                                                                    |  |          |
| लिखित उत्तरों के लिए प्रश्न सूचियों में शामिल किए गए प्रश्नों की संख्या                                                                                                                                         |  | 5057@    |
| <b>(तीन) सभा पटल पर रखे गए उत्तर</b>                                                                                                                                                                            |  |          |
| प्रश्नों की संख्या (तारांकित प्रश्न 356+ अतारांकित प्रश्न 5057) जिनके लिए लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए (356 तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तरों के लिए सभा पटल पर रखे गए लेकिन जिनके उत्तर/अनुपूरक नहीं मांगे गए थे) |  | 5413     |
| <b>(चार) अल्प सूचना प्रश्न</b>                                                                                                                                                                                  |  |          |
| (क) प्राप्त अल्प सूचना प्रश्नों (एसएनक्यू) की संख्या                                                                                                                                                            |  | 11       |
| (ख) गृहीत अल्प सूचना प्रश्नों (एसएनक्यू) की सूचनाओं की संख्या                                                                                                                                                   |  | कोई नहीं |
| (ग) तारांकित प्रश्न के साथ युग्मित अल्प सूचना प्रश्नों (एसएनक्यू) की सूचनाओं की संख्या                                                                                                                          |  | कोई नहीं |
| (घ) अल्प सूचना प्रश्नों (एसएनक्यू) की सूचनाओं की संख्या जिनकी अनुमति नहीं दी गई                                                                                                                                 |  | 11       |
| <b>(पाँच) आधे घंटे की चर्चा</b>                                                                                                                                                                                 |  |          |
| (क) प्राप्त आधे घंटे की चर्चा की सूचनाओं की संख्या                                                                                                                                                              |  | 1        |
| (ख) आधे घंटे की चर्चा की गृहीत सूचनाओं की संख्या                                                                                                                                                                |  | कोई नहीं |
| (ग) चर्चा की गई आधे घंटे की चर्चा की सूचनाओं की संख्या                                                                                                                                                          |  | कोई नहीं |
| (घ) आधे घंटे की चर्चा की सूचनाओं की संख्या जिनकी अनुमति नहीं दी गई/जो व्यपगत हो गए                                                                                                                              |  | 1        |
| <b>(छह) पहले से दिए गए उत्तरों में शुद्धि करने के लिए मंत्री द्वारा दिया गया (दिए गए) वक्तव्य शुद्धि किए गए उत्तरों की संख्या</b>                                                                               |  | 1        |

@ जिसमें अतारांकित प्रश्न सूची में से लोप किए गए तीन (3) प्रश्न यथा प्रश्न संख्या 202 दिनांक 02.02.2021, 881 दिनांक 05.02.2021 और प्रश्न संख्या 1013 दिनांक 08.02.2021 शामिल नहीं है।

## 19. संकल्प

### (एक) सांविधिक संकल्प

| क्र.<br>सं. | संकल्प का पाठ                                                                                                                                                                          | संविधान/<br>अधिनियम का<br>अनुच्छेदाधारा | प्रस्ताव करने<br>वाले सदस्य<br>का नाम | प्रस्ताव पेश<br>करने तथा<br>चर्चा करने<br>की तरीख | लिया गया<br>समय | संबंधित<br>मंत्रालय/<br>विभाग | टिप्पणी            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| 1.          | #कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 4.11.2020 को प्रख्यापित मध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 14) का निरन्मोदन करती है।                                     | अनुच्छेद<br>123(2)(क)                   | श्री अधीर<br>रंजन चौधरी               | 12.2.2021                                         | 2               | 24                            | विधि और<br>न्याय   |
| 2.          | *कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7.1.2021 को प्रख्यापित जन्मृ-कक्षीय पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश संख्यांक 1) का निरन्मोदन करती है।                                  | अनुच्छेद<br>123(2)(क)                   | श्री अधीर<br>रंजन चौधरी               | 13.2.2021                                         | 3               | 55                            | गृह अस्वीकृत       |
| 3.          | यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30.12.2020 को प्रख्यापित दिल्ली राज्यीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 15) का निरन्मोदन करती है। | अनुच्छेद<br>123(2)(क)                   | -                                     | -                                                 | -               | -                             | पेश नहीं<br>किए गए |

# सांविधिक संकल्प पर मध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किये जाने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।  
\* सांविधिक संकल्प पर जन्मृ-कक्षीय पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किये जाने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

(बो) गैर-सकारी सदस्यों के संकल्प

| विषय                                                                                                                                                                                                                                     | सदस्य का<br>नाम जिन्हें<br>प्रस्तुत किया | प्रस्तुत करने और<br>उस पर चर्चा<br>किए जाने की<br>दिनांक<br>में समय<br>चं. | लिया गया                     | मंत्रालय/किमगा                                                                                  | अध्युक्तियाँ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| "यह ध्यान में रखते हुए कि आगनवाड़ी कार्यकर्ता और आगनवाड़ी सहायिकाएँ, महिलाओं, बच्चों और किशोरों को अनेक अनिवार्य उपलब्ध कराते हैं, यह सभा सरकार से आगह करती है कि उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नानुसित कदम उठाएं-   | श्री रितेश पाण्डेय                       | 20.3.2020<br>(तीसरा सत्र)                                                  | 1 – 09<br>महिला और बाल विकास | चर्चा पूरी<br>(तीसरे सत्र<br>के दौरान<br>दिए गए<br>पांचवें सत्र)<br>19.3.2021<br>(पांचवें सत्र) | नहीं हुई।    |
| (1) आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आगनवाड़ी सहायिकाओं के रोजगार को नियमित करना;                                                                                                                                                                | 19 मिनटों को<br>अलग रखते<br>हुए।         |                                                                            |                              |                                                                                                 |              |
| (2) आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर "वेतन" करना;                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                              |                                                                                                 |              |
| (3) आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो समाज के प्रति उनकी सेवाओं के महत्व को दर्शाएँ,                                                                                        |                                          |                                                                            |                              |                                                                                                 |              |
| (4) आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना और प्रत्येक आगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित वातावरण-व्यवस्था की उपलब्धता सहित सभी मूल सुविधाएँ उपलब्ध करायकर उनका उन्नयन करना; और |                                          |                                                                            |                              |                                                                                                 |              |
| (5) देश में किरण पर चलाये जा रहे आगनवाड़ी केन्द्रों के लिए लाभित कियराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना।"                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                              |                                                                                                 |              |

**सारांश**  
**(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प)**

- |                                                         |   |       |
|---------------------------------------------------------|---|-------|
| 1. प्राप्त संकल्पों की सूचनाओं की संख्या                | : | 9     |
| 2. चर्चा किए गए संकल्पों की संख्या                      | : | 1     |
| 3. स्वीकृत संकल्पों की संख्या                           | : | शून्य |
| 4. वापस लिए गए संकल्पों की संख्या                       | : | शून्य |
| 5. अस्वीकृत किए गए संकल्पों की संख्या                   | : | शून्य |
| 6. संकल्पों की संख्या जिस दिन वाद-विवाद स्थगित किया गया | : | शून्य |
| 7. आंशिक रूप से चर्चा किए गए संकल्पों की संख्या         | : | 1     |

## 20. नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चाएं

| विषय             | प्रस्ताव<br>करने वाले<br>सदस्य का<br>नाम | चर्चा की<br>तारीख/<br>तारीखें | लिया<br>गया<br>समय | मंत्रालय/संबंधित<br>विभाग      | टिप्पणी             |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                  |                                          |                               | घं. मि.            |                                |                     |
| *महिला सशक्तिकरण | डॉ. बी.वी.<br>सत्यवती                    | 08.03.2021                    | 00 26              | महिला और बाल<br>विकास मंत्रालय | आंशिक<br>चर्चा हुई। |

\* नियम 193 के अधीन ध्यानाकर्षण को अल्पकालिक चर्चा में परिवर्तित किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर नियम 193  
के अधीन अल्पकालिक चर्चाएं

सारांश

|                            |   |         |
|----------------------------|---|---------|
| प्राप्त सूचनाओं की संख्या  | : | 32      |
| की गई चर्चाओं की संख्या    | : | 01      |
| पूरी हुई चर्चाओं की संख्या | : | शून्य   |
| आंशिक चर्चाओं की संख्या    | : | 01      |
| लिया गया कुल समय           | : | 26 मिनट |

## 21. अध्यक्षसभापति–घोषणा/टिप्पणी/विनियम

| क्र. सं. | विषय                                                                                                                                                  | किसके द्वारा | दिनांक     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                     | 3            | 4          |
| 1.       | महासचिव (श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव) की पदमुक्ति और सभा के मानद अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति के बारे में घोषणा।                                  | अध्यक्ष      | 29.01.2021 |
| 2.       | श्री उत्तल कुमार सिंह की लोक सभा महासचिव के रूप में नियुक्ति के बारे में घोषणा।                                                                       | अध्यक्ष      | 29.01.2021 |
| 3.       | नियम 384 के अंतर्गत बेटने की व्यवस्था के बारे में 'घोषणा और सदस्य पोर्टल के माध्यम से आधिक सर्वेक्षण 2020-21 के ई-परिचालन के बारे में घोषणा।          | अध्यक्ष      | 29.01.2021 |
| 4.       | केन्द्रीय बजट 2021-22 की सदस्य पोर्टल के माध्यम से ई-परिचालन के बारे में घोषणा।                                                                       | अध्यक्ष      | 1.02.2021  |
| 5.       | कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के कारण संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का सभी मंत्रियों की ओर से पत्र सभा पटल पर रखने के निवेदन के बारे में घोषणा। | अध्यक्ष      | 2.02.2021  |
| 6.       | उचित मर्यादा और सभा की गतिमा बनाए रखने के बारे में टिप्पणी।                                                                                           | अध्यक्ष      | 3.02.2021  |
| 7.       | वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को स्वदेशी कोविड वैक्सीन बनाने में उनके ईमानदार प्रयासों के लिए बधाई देने के बारे में घोषणा।                                  | अध्यक्ष      | 5.02.2021  |
| 8.       | राष्ट्रपति के अधिभाषण पर संशोधनों को प्रस्तुत करने के बारे में घोषणा।                                                                                 | अध्यक्ष      | 8.02.2021  |
| 9.       | संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर 9 और 10 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न काल के रूपान के बारे में घोषणा।                                                    | अध्यक्ष      | 8.02.2021  |
| 10.      | 13 फरवरी, 2021 को सभा की बैठक पूर्वाहि 10.00 बजे प्रारंभ होने के बारे में टिप्पणी।                                                                    | अध्यक्ष      | 12.02.2021 |
| 11.      | राष्ट्रपति से सदेश प्राप्त होने की घोषणा।                                                                                                             | अध्यक्ष      | 8.03.2021  |
| 12.      | दिनांक 9.03.2021 से लोक सभा की बैठक पूर्वाहि 11.00 बजे प्रारंभ होने के बारे में घोषणा।                                                                | अध्यक्ष      | 8.03.2021  |

| 1   | 2                                                                                                                                                                              | 3                     | 4                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 13. | द्यानाकर्षण के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के विषय को देखते हुए नियम 193 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा में परिवर्तित करने के बारे में टिप्पणी।                                        |                       | अध्यक्षपीठ 8.03.2021 |
| 14. | 12 मार्च, 2021 के लिए नियत सभा की बैठक को रद किए जाने की घोषणा।                                                                                                                | अध्यक्षपीठ 10.03.2021 |                      |
| 15. | ऐत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग पर कठोरी प्रस्ताव को पेश किए जाने के संबंध में टिप्पणी।                                                                             | अध्यक्षपीठ 10.03.2021 |                      |
| 16. | अंतर-संसदीय सच (आईपीयू) के अध्यक्ष महामहिम श्री दुआर्त पचेको के भारत दौरे पर स्वागत के संबंध में घोषणा।                                                                        | अध्यक्ष 15.03.2021    |                      |
| 17. | शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर कठोरी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के बारे में घोषणा।                                                                     | अध्यक्ष 16.03.2021    |                      |
| 18. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर कठोरी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के बारे में घोषणा।                                                 | अध्यक्ष 17.03.2021    |                      |
| 19. | वर्ष 2021–22 के लिए बजट (सामान्य) अनुदानों की सभी शेष मांगों के संबंध में सभी परिचालित कठोरी प्रस्तावों को प्रस्तुत किए गए और तत्पश्चात् अस्वीकृत माने जाने के बारे में घोषणा। | अध्यक्ष 17.03.2021    |                      |
| 20. | अनुप्रक अनुदानों की मांग— 2020–21 के लिए दूसरा बैच पर कठोरी प्रस्तावों को पेश करने के बारे में घोषणा।                                                                          | अध्यक्षपीठ 18.03.2021 |                      |
| 21. | माननीय अध्यक्ष महोदय के शीघ्र स्वरूप होने की कामना करने के बारे में घोषणा।                                                                                                     | अध्यक्षपीठ 25.03.2021 |                      |
| 22. | सत्रहर्वी लोक सभा के पांचवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख।                                                                                                             | अध्यक्षपीठ 25.03.2021 |                      |

## 22. वक्तव्य

(एक) सत्रहर्वीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान मंत्रियों द्वारा नियम 372 के अधीन दिए गए वक्तव्य/सभा पटल पर रखे गए विवरण

| क्र.<br>सं. | संक्षिप्त विषय                                                                                                                  | मंत्री का नाम    | तारीख      | लिया गया   |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----|
|             |                                                                                                                                 |                  |            | समय<br>घं. | मि. |
| 1.          | उत्तराखण्ड के चमोली जिले में हिमस्खलन के बारे में।                                                                              | श्री अमित शाह    | 09.02.2021 | 00         | 09  |
| 2.          | पूर्वी लद्दाख में वर्तमान स्थिति के बारे में।                                                                                   | श्री राजनाथ सिंह | 11.02.2021 | 00         | 13  |
| 3.          | विदेशों में भारतीयों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में हाल के घटनाक्रम के बारे में। | डॉ. एस. जय शंकर  | 15.03.2021 | 00         | 12  |
| 4.          | "भारतीय टीकाकरण मैत्री पहल" के बारे में।                                                                                        | डॉ. एस. जय शंकर  | 17.03.2021 | 00         | 08  |
| 5.          | "वाहन स्कैपिंग पॉलिसी" के बारे में।                                                                                             | श्री नितिन गडगरी | 18.3.2021  | 00         | 03  |

(दो) सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान अध्यक्ष के निदेश 73क के अधीन मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य/सभा पटल पर रखे गए विवरण

| क्रम सं. | संक्षिप्त विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मंत्री का नाम               | तारीख    | लिया गया समय |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|-----|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |          | घं.          | मि. |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                           | 4        | 5            |     |
| 1.       | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय सौर मिशन—एक मूल्यांकन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                                                                     | श्री राज कुमार सिंह         | 4.2.2021 | 00           | 01  |
| 2.       | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'भारत में ऊर्जा सुलभता—नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति और भूमिका की समीक्षा' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                         | श्री राज कुमार सिंह         | 4.2.2021 | 00           | 01  |
| 3.       | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'लघु पनबिजली क्षेत्र का विकास और स्थिति' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                                                              | श्री राज कुमार सिंह         | 4.2.2021 | 00           | 01  |
| 4.       | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2014–15)' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                                                                        | श्री राज कुमार सिंह         | 4.2.2021 | 00           | 01  |
| 5.       | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपमोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित खाद्य, उपमोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की 2019–20 की अनुदानों की मांगों संबंधी दूसरे प्रतिवेदन और 2020–21 की अनुदानों की मांगों संबंधी तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में। | श्री दानवे रावसाहेब दादाराव | 9.2.2021 | 00           | 01  |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                              | 4         | 5     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| 6.  | उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–21) संबंधी खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में। | श्री दानवे रावसाहेब<br>दादाराव | 9.2.2021  | 00 01 |
| 7.  | कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 2019–20 की अनुदानों की मांगों संबंधी तीसरे प्रतिवेदन और 2020–21 की अनुदानों की मांगों संबंधी छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                           | श्री प्रह्लाद जोशी             | 10.2.2021 | 00 01 |
| 8.  | खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 2019–20 की अनुदानों की मांगों संबंधी चौथे प्रतिवेदन और 2020–21 की अनुदानों की मांगों संबंधी सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                           | श्री प्रह्लाद जोशी             | 10.2.2021 | 00 01 |
| 9.  | विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'हाइड्रो क्षेत्र का विकास' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन (2013) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                | श्री राजकुमार सिंह             | 11.2.2021 | 0 01  |
| 10. | विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'हाइड्रो पावर—एक सतत, स्वच्छ और हरित विकल्प' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन (2015–16) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                           | श्री राजकुमार सिंह             | 11.2.2021 | 0 01  |
| 11. | विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'हाइड्रो पावर' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन (2019) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                            | श्री राजकुमार सिंह             | 11.2.2021 | 0 01  |
| 12. | विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत क्षेत्र में दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियां' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                       | श्री राजकुमार सिंह             | 11.2.2021 | 0 01  |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                  | 4         | 5    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|
| 13. | विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के बारे में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पुनरीक्षित रूपरेखा का प्रभाव' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में। | श्री राजकुमार सिंह | 11.2.2021 | 0 01 |
| 14. | विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'जैस आधारित विद्युत संयंत्रों में दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                             | श्री राजकुमार सिंह | 11.2.2021 | 0 01 |
| 15. | स्वारश्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के कार्यकरण के बारे में स्वारश्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 110वें और 121वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                   | डॉ. हर्ष वर्धन     | 12.2.2021 | 0 01 |
| 16. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–2021) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 329वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                   | डॉ. हर्ष वर्धन     | 12.2.2021 | 0 01 |
| 17. | भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019–2020) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                      | साधी निरंजन ज्योति | 12.2.2021 | 0 01 |
| 18. | भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–2021) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                    | साधी निरंजन ज्योति | 12.2.2021 | 0 01 |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                       | 4         | 5    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 19. | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019–20) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                        | श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिया गया | 8.3.2021  | 0 01 |
| 20. | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–21) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                        | श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिया गया | 8.3.2021  | 0 01 |
| 21. | रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019–20) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।      | श्री मनसुख मांडविया                                                     | 9.3.2021  | 0 01 |
| 22. | रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–21) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।        | श्री मनसुख मांडविया                                                     | 9.3.2021  | 0 01 |
| 23. | अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–21) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 338वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में। | डॉ. जितेन्द्र सिंह                                                      | 17.3.2021 | 0 01 |
| 24. | दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–21) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।               | श्री संजय शामराव धोत्रे की ओर से श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिया गया | 17.3.2021 | 0 01 |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                       | 4         | 5    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 25. | डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–21) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                    | श्री संजय शामराव धोत्रे की ओर से श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिया गया | 17.3.2021 | 0 01 |
| 26. | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित “नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग” विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                      | श्री राजकुमार सिंह                                                      | 18.3.2021 | 0 01 |
| 27. | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015–16) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                                          | श्री राजकुमार सिंह                                                      | 18.3.2021 | 0 01 |
| 28. | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016–17) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                                        | श्री राजकुमार सिंह                                                      | 18.3.2021 | 0 01 |
| 29. | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018–19) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                                        | श्री राजकुमार सिंह                                                      | 18.3.2021 | 0 01 |
| 30. | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–21) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                    | श्री परषोत्तम रूपाला                                                    | 18.3.2021 | 0 01 |
| 31. | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–21) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 328वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में। | डॉ. हर्ष वर्धन                                                          | 19.3.2021 | 0 01 |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                       | 4         | 5    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 32. | कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2019–20)' के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                                                                   | श्री राजकुमार सिंह की ओर से श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिया गया      | 22.3.2021 | 0 01 |
| 33. | कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2020–21)' के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                                                                  | श्री राजकुमार सिंह की ओर से श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिया गया      | 22.3.2021 | 0 01 |
| 34. | उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–21) के संबंध में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                                        | श्री संजय शामराव धोत्रे की ओर से श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिया गया | 22.3.2021 | 0 01 |
| 35. | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–21) के बारे में समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की—गई—कार्रवाई पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 227वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                   | डॉ. जितेन्द्र सिंह                                                      | 24.3.2021 | 0 01 |
| 36. | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020–21) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                                                                                                | श्री नितिन जयराम गडकरी                                                  | 25.3.2021 | 0 01 |
| 37. | रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, बीआरओ, आईसीजी, एमईएस, डीजीडीई, डीपीएसयू भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा पेशन और ईसीएचएस (मांग संख्या 19 और 22)' पर वर्ष 2018–19 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में। | श्री श्रीपाद येसो नाईक                                                  | 25.3.2021 | 0 01 |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                    | 4         | 5    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|
| 38. | विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'ऊर्जा संरक्षण' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                           | श्री राजकुमार सिंह   | 25.3.2021 | 0 01 |
| 39. | विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय बिजली नीति—एक समीक्षा' के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                                | श्री राजकुमार सिंह   | 25.3.2021 | 0 01 |
| 40. | विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत एक्सचेंज की भूमिका, प्रदर्शन और कार्यकरण का मूल्यांकन' के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में। | श्री राजकुमार सिंह   | 25.3.2021 | 0 01 |
| 41. | विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कार्यकरण' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।              | श्री राजकुमार सिंह   | 25.3.2021 | 0 01 |
| 42. | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'मसाला बोर्ड के कार्यकलाप और कार्यकरण' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।                   | श्री हरदीप सिंह पुरी | 25.3.2021 | 0 01 |
| 43. | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'जैविक उत्पादों का निर्यात: चुनौतियां और अवसर' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।           | श्री हरदीप सिंह पुरी | 25.3.2021 | 0 01 |

(तीन) सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान सरकारी कार्य के बारे में  
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये/दिये गये वक्तव्य

| क्र.<br>सं. | संक्षिप्त विषय                                                                     | मंत्री का नाम<br>मेघवाल   | दिनांक    | लिया गया<br>समय |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----|
|             |                                                                                    |                           |           | घं.             | मि. |
| 1.          | सोमवार, 8 फरवरी, 2021 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में।  | श्री अर्जुन राम<br>मेघवाल | 5.2.2021  | 00              | 02  |
| 2.          | सोमवार, 15 मार्च, 2021 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में। | श्री अर्जुन राम<br>मेघवाल | 10.3.2021 | 00              | 02  |
| 3.          | सोमवार, 22 मार्च, 2021 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में। | श्री अर्जुन राम<br>मेघवाल | 19.3.2021 | 00              | 02  |

(चार) सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धिकरण के बारे में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य/सभा पटल पर रखे गए विवरण

| संक्षिप्त विषय                                                                                                                                                                                                                          | मंत्री का नाम        | दिनांक    | लिया गया |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           | समय      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           | घं.      | मि. |
| (एक) “केबल डिजीटलीकरण” के बारे में श्री गौतम गंभीर, संसद जावड़ेकर सदस्य के अतारांकित प्रश्न सं. 4356 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के 13.12.2019 को दिए गए उत्तर में शुद्धिकरण; और (दो) उत्तर में शुद्धिकरण करने में हुए विलंब के कारण। | श्री प्रकाश जावड़ेकर | 19.3.2021 | 00       | 01  |

(पांच) नियम 377 के अधीन मामले

सत्रहवीं लोक सभा के दौरान मंत्रालयों से उत्तरों की प्राप्ति के बारे में स्थिति  
(16.7.2021 के अनुसार)

| सत्र                                                    | सभा पटल पर रखे गए/उठाये गए मामलों की कुल संख्या | प्राप्त उत्तरों की संख्या | लवित | सभा पटल पर रखे गए/उठाये गए कुल मामलों के अनुपात में प्राप्त उत्तरों का प्रतिशत |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| पहला सत्र<br>(17.06.2019 से 6.08.2019)                  | 488                                             | 488                       | 00   | 100%                                                                           |
| दूसरा सत्र<br>(18.11.2019 से 13.12.2019)                | 365                                             | 364                       | 1    | 99.73%                                                                         |
| तीसरा सत्र<br>(31.01.2020 से 23.03.2020)                | 414                                             | 414                       | 00   | 100%                                                                           |
| चौथा सत्र<br>(14.09.2020 से 23.09.2020)                 | 183                                             | 182                       | 1    | 99.45%                                                                         |
| पांचवां सत्र (प्रथम भाग)<br>(29.01.2021 से 13.02.2021)  | 202                                             | 187                       | 15   | 92.57%                                                                         |
| पांचवां सत्र (द्वितीय भाग)<br>(08.03.2021 से 25.3.2021) | 204                                             | 173                       | 31   | 84.80%                                                                         |
|                                                         | 1856                                            | 1808                      | 48   | 97.41%                                                                         |

(छ) सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र में 'शून्य काल' के दौरान उठाये गये अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामलों को दर्शाने वाला विवरण

| दिनांक     | 20 बैलट की गई <sup>सूचनाओं में उठाये गये मामलों की संख्या+ अतिरिक्त</sup> | जो सदस्य बोले/सहयोगित हुए | प्राप्त सूचनाएं | लिया गया समय |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----|
|            |                                                                           |                           |                 | घं.          | मि. |
| 02.02.2021 | शून्य                                                                     | शून्य                     | 145             | शून्य        |     |
| 03.02.2021 | शून्य                                                                     | शून्य                     | 157             | शून्य        |     |
| 04.02.2021 | 08+07=15                                                                  | 30                        | 163             | 0            | 30  |
| 05.02.2021 | शून्य                                                                     | शून्य                     | 120             | शून्य        |     |
| 08.02.2021 | शून्य                                                                     | शून्य                     | 139             | शून्य        |     |
| 09.02.2021 | शून्य                                                                     | शून्य                     | 151             | शून्य        |     |
| 10.02.2021 | 00+06=06                                                                  | 06                        | 138             | 0            | 12  |
| 11.02.2021 | शून्य                                                                     | शून्य                     | 121             | शून्य        |     |
| 12.02.2021 | 17+72=89                                                                  | 115                       | 117             | 2            | 31  |
| 13.02.2021 | 18+48=66                                                                  | 145                       | 22              | 1            | 58  |
| 08.03.2021 | 00+02=02                                                                  | 02                        | 73              | 0            | 04  |
| 09.03.2021 | शून्य                                                                     | शून्य                     | 58              | शून्य        |     |
| 10.03.2021 | 03+02=05                                                                  | 25                        | 65              | 0            | 12  |
| 15.03.2021 | 17+01=18                                                                  | 23                        | 45              | 0            | 34  |
| 16.03.2021 | 17+37=54                                                                  | 68                        | 108             | 1            | 35  |
| 17.03.2021 | 18+69=87                                                                  | 200                       | 126             | 2            | 33  |
| 18.03.2021 | 18+04=22                                                                  | 57                        | 114             | 0            | 38  |
| 19.03.2021 | 16+33=49                                                                  | 75                        | 93              | 1            | 31  |
| 22.03.2021 | 19+58=77                                                                  | 197                       | 78              | 2            | 15  |
| 23.03.2021 | 00+01=01                                                                  | 01                        | 96              | 0            | 02  |
| 24.03.2021 | 16+76=92                                                                  | 238                       | 98              | 2            | 41  |
| 25.03.2021 | शून्य                                                                     | शून्य                     | 73              | शून्य        |     |
| कुल        | 167+416=583                                                               | 1182                      | 2300            | 17           | 16  |

**23. सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान सभा में व्यवधानों और स्थगनों के कारण  
नष्ट हुए समय को दर्शाने वाला विवरण**

| तारीख      | व्यवधानों के कारण नष्ट हुआ समय | व्यवधानों के सभा को स्थगित करने के कारण नष्ट हुआ समय | टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | व्यवधान का कारण                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.02.2021 | —                              | 4 38                                                 | 1605 बजे व्यवधान के कारण सभा 1700 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1710 बजे व्यवधान के कारण सभा 1900 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1907 बजे व्यवधान के कारण सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।                                                                                                                                                         | आईएनसी, सीपीआई (एम), डीएमपी, एसएस, टीडीपी, डीएमके, एआईटीसी आदि के सदस्य १५ कानूनों को रद् करने और दिल्ली की सीमाओं पर आन्दोलनरत किसानों के मुद्दे को लेकर सभापति के आसन के समीप पहुंच गए। |
| 03.02.2021 | —                              | 4 41                                                 | 1604 बजे व्यवधान के कारण सभा 1630 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1635 बजे व्यवधान के कारण सभा 1700 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1708 बजे व्यवधान के कारण सभा 1900 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1902 बजे व्यवधान के कारण सभा 2100 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>2104 बजे व्यवधान के कारण सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई। | एपी, आईएनसी, सीपीआई (एम), डीएमपी, एआईटीसी आदि के सदस्य १५ कानूनों को रद् करने और दिल्ली की सीमाओं पर आन्दोलनरत किसानों के मुद्दे को लेकर सभापति के आसन के समीप पहुंच गए।                  |

| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.02.2021 | 4 00 | 1614 बजे व्यवधान के कारण सभा 1700 बजे आईएनसी, सीपीआई (एम), डीएमके, आरएसपी, एआईटीसी आदि के सदस्य नए कृषि कानूनों को रद् करने और दिल्ली की सीमाओं पर आन्दोलनरत किसानों के मुद्दे को लेकर समाप्ति के आसन के समीप पहुंच गए।<br>पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई। | 1712 बजे व्यवधान के कारण सभा 1800 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1802 बजे व्यवधान के कारण सभा 1900 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1902 बजे व्यवधान के कारण सभा 2030 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई। | पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई। आईएनसी, सीपीआई (एम), डीएमके, एआईटीसी आदि के सदस्य नए कृषि कानूनों पर आन्दोलनरत किसानों के मुद्दे को लेकर समाप्ति के आसन के समीप पहुंच गए।<br>1614 बजे व्यवधान के कारण सभा 1800 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1805 बजे व्यवधान के कारण सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।<br>1609 बजे व्यवधान के कारण सभा 1700 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>05.02.2021 4 41 1609 बजे व्यवधान के कारण सभा 1700 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>08.02.2021 0 51 1714 बजे व्यवधान के कारण सभा 1900 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>08.03.2021 3 17 1714 बजे व्यवधान के कारण सभा 1900 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1929 बजे व्यवधान के कारण सभा 2100 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई। |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.03.2021 | 5 31 | 1118 बजे व्यवधान के कारण सभा 1200 बजे आईएनसी सीपि�आई (एम), डीएमके, एआईटीसी आदि के सदस्य नए कुषि कानूनों पर पुनः समयेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1207 बजे व्यवधान के कारण सभा 1400 बजे को रद्द करने और दिल्ली की सीमाओं पर आन्दोलनरत किसानों के मुद्दे को लेकर सभापति के आसन के समीप पहुच गए।<br>पुनः समयेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1404 बजे व्यवधान के कारण सभा 1800 बजे पुनः समयेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1132 बजे व्यवधान के कारण सभा 1230 बजे आईएनसी और डीएमके के सदस्य नए कुषि कानूनों को रद्द करने और दिल्ली की सीमाओं पर आन्दोलनरत किसानों के मुद्दे को लेकर सभापति के आसन के समीप पहुच गए।<br>पुनः समयेत होने के लिए स्थगित हुई।<br>1442 बजे व्यवधान के कारण सभा 1800 बजे पुनः समयेत होने के लिए स्थगित हुई। |
| 10.03.2021 | 4 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |      | <b>कुल 00 + 31 55 = 31 55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

सभा के सामान्य कार्य समय, अर्थात् अपराह्न 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक (29.01.2021 से लेकर 08.03.2021 तक) और पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से लेकर साथी 6 बजे तक (09.03.2021 से लेकर 25.03.2021 तक) के आधार पर परिणामित समय।

**24. सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र (29.01.2021 से 13.02.2021 और 08.03.2021 से 25.03.2021 तक) के दौरान गणपूर्ति घंटी के बजाए जाने की तारीख और समय को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम संख्या | तारीख<br>(बजे) | समय जब गणपूर्ति लिया गया<br>घंटी बजाई गई | गणपूर्ति घंटी के बजाए<br>जाने के समय<br>(मिनट) | गणपूर्ति घंटी के बजाए जाने के रही<br>चर्चा की विषय—वस्तु | टिप्पणियां                                                                           |
|-------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | 09.03.2021     | 1400 से 1402                             | 02                                             | ---                                                      | गणपूर्ति घंटी के एक बार बजाए जाने के पश्चात् भोजनावकाश के उपरांत सभा पुनः समवेत हुई। |
| 2.          | 10.03.2021     | 1430 से 1433                             | 03                                             | ---                                                      | —तदेव—                                                                               |
| 3.          | 18.03.2021     | 1400 से 1406                             | 06                                             | ---                                                      | गणपूर्ति घंटी के दो बार बजाए जाने के पश्चात् भोजनावकाश के उपरांत सभा पुनः समवेत हुई। |
| <b>कुल</b>  |                |                                          |                                                |                                                          | <b>11 मिनट</b>                                                                       |

**गणपूर्ति घंटी के बजाए जाने का विश्लेषण**

|                                                                                                     |   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| 1. गणपूर्ति घंटी बजाए जाने पर लगा कुल समय                                                           | : | 11 मिनट                 |
| 2. किसी दिन विशेष में गणपूर्ति घंटी के बजाए जाने की अधिकतम संख्या                                   | : | (18.03.2021 को ) दो बार |
| 3. गणपूर्ति के अभाव में सभा के स्थगित होने की संख्या                                                | : | शून्य                   |
| 4. ऐसे दिनों की संख्या जब गणपूर्ति घंटी बजाने के पश्चात् सभा की बैठक आरंभ हुई                       | : | शून्य                   |
| 5. ऐसे दिनों की संख्या जब गणपूर्ति घंटी बजाए जाने के पश्चात् भोजनावकाश के उपरांत सभा पुनः समवेत हुई | : | 03 दिन                  |

## 25. सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा बर्हिंगमन किए जाने संबंधी विवरण

**(29.01.2021 से 13.02.2021 और 08.03.2021 से 25.03.2021)**

| तारीख      | समय      | विषय—वस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.02.2021 | 1100 बजे | शिअद के सदस्यों ने कृषि कानूनों के विरोध में सभा से बर्हिंगमन किया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.02.2021 | 1657 बजे | श्री अधीर रंजन चौधरी, नेता आईएनसी, श्री ई.टी. मोहम्मद बर्शीर (आईयूएमएल), श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (आरएसपी) तथा आईएनसी के अन्य सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद पर अपने प्रत्युत्तर में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों के बारे में किसानों के बीच विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही कथित अफवाहों पर दिए गए व्यक्तात्व के विरोध में सभा से बर्हिंगमन किया।                                                               |
|            | 1735 बजे | एआईटीसी के नेता श्री सुधीप बंदोपाध्याय तथा एआईटीसी के अन्य सदस्यों ने भी उक्त मुद्दे पर सभा से बर्हिंगमन किया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15.03.2021 | 1306 बजे | श्री अरविन्द सावंत (शिव सेना) ने 'शून्य काल' के दौरान महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में उनके दल के नेताओं पर कन्ड समर्थक कार्यकर्ताओं के 'कथित हमले' का मुद्दा उठाया।<br>इस पर श्री शिव कुमार उदासी, संसद सदस्य (भाजपा) ने यह आरोप लगाते हुए प्रत्युत्तर दिया कि उक्त मामला काफी समय पहले ही शांत हो चुका है और शिव सेना द्वारा लगाए जा रहे आरोप राज्य में उनके कुशासन पर पर्दा डालने की उनकी एक कोशिश भर हैं। विरोधस्वरूप, शिव सेना सदस्यों ने सभा से बर्हिंगमन किया। |
| 22.03.2021 | 1221 बजे | शिव सेना के नेता श्री विनायक बी. राऊत तथा दल के कुछ अन्य सदस्यों ने शून्य काल के दौरान कई सदस्यों द्वारा सभा में मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री के विरुद्ध लगाए गए आरोप के प्रति विरोध करते हुए सभा से बर्हिंगमन किया।                                                                                                                                                                                                                             |

**26. अध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों और वरिष्ठ सदस्य  
प्रो. एस.पी. सिंह बघेल द्वारा अध्यक्षपीठ में बिताए  
गए वास्तविक समय को दर्शाने वाला विवरण**  
**(29.01.2021 से 13.02.2021 और 08.03.2021 से 25.03.2021 तक)**

|                                           | दिनों की संख्या | बिताया गया कुल समय |     |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----|
|                                           |                 | घं.                | मि. |
| माननीय अध्यक्ष                            | 19              | 30                 | 31  |
| श्रीमती मीनाक्षी लेखी                     | 15              | 22                 | 15  |
| श्री राजेंद्र अग्रवाल                     | 15              | 26                 | 46  |
| श्रीमती रमा देवी                          | 12              | 18                 | 25  |
| श्री भर्तुहरि महताब                       | 06              | 09                 | 03  |
| डॉ. किरिट पी. सोलंकी                      | 05              | 08                 | 42  |
| श्री पी.वी. मिधुन रेण्डी                  | 04              | 06                 | 41  |
| श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन                 | 04              | 05                 | 50  |
| श्री कोडिकुन्नील सुरेश                    | 02              | 03                 | 36  |
| प्रो. एस. पी. सिंह बघेल<br>(वरिष्ठ सदस्य) | 01              | 00                 | 09  |

**अध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों और वरिष्ठ सदस्य  
प्रो. एस.पी. सिंह बघेल द्वारा अध्यक्षपीठ में बिताए  
गए वास्तविक समय को दर्शाने वाला विवरण**

**(29.01.2021 से 13.02.2021 और 08.03.2021 से 25.03.2021 तक)**

| तारीख                 | बिताया गया समय                    | कुल समय |     |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----|
|                       |                                   | घं.     | मि. |
| <b>माननीय अध्यक्ष</b> |                                   |         |     |
| 29.01.2021            | 1252 से 1321 बजे तक               | 00      | 31  |
| 01.02.2021            | 1100 से 1251 बजे तक               | 01      | 51  |
| 02.02.2021            | 1600 से 1605 बजे तक               | 00      | 05  |
|                       | 1700 से 1710 बजे तक               | 00      | 10  |
|                       | 1900 से 1907 बजे तक               | 00      | 07  |
| 03.02.2021            | 1600 से 1604 बजे तक               | 00      | 04  |
|                       | 1630 से 1635 बजे तक               | 00      | 05  |
|                       | 1700 से 1708 बजे तक               | 00      | 08  |
|                       | 2100 से 2104 बजे तक               | 00      | 04  |
| 04.02.2021            | 1600 से 1614 बजे तक               | 00      | 14  |
| 05.02.2021            | 1600 से 1614 बजे तक               | 00      | 14  |
|                       | 1800 से 1805 बजे तक               | 00      | 05  |
| 08.02.2021            | 1600 से 1609 बजे तक               | 00      | 09  |
|                       | 1700 से 1753 बजे तक               | 00      | 53  |
|                       | 1808 से 1923 बजे तक               | 01      | 15  |
|                       | 2355 से 0000 बजे तक               | 00      | 05  |
| 09.02.2021            | 1600 से 1650 बजे तक               | 00      | 50  |
|                       | 2045 से 2131 बजे तक               | 00      | 46  |
|                       | 2339 से 0059 बजे तक<br>(अगले दिन) | 01      | 20  |
| 10.02.2021            | 1600 से 1753 बजे तक               | 01      | 53  |
|                       | 2336 से 0032 बजे तक<br>(अगले दिन) | 00      | 56  |
| 11.02.2021            | 1600 से 1649 बजे तक               | 00      | 49  |
|                       | 1704 से 1757 बजे तक               | 00      | 53  |
| 12.02.2021            | 1600 से 1743 बजे तक               | 01      | 43  |
|                       | 1942 से 2012 बजे तक               | 00      | 30  |
| 13.02.2021            | 1000 से 1157 बजे तक               | 01      | 57  |
|                       | 1353 से 1521 बजे तक               | 01      | 28  |
|                       | 1714 से 1718 बजे तक               | 00      | 04  |

|            |                     |    |    |
|------------|---------------------|----|----|
| 08.03.2021 | 1600 से 1607 बजे तक | 00 | 07 |
|            | 1701 से 1714 बजे तक | 00 | 13 |
| 09.03.2021 | 1100 से 1118 बजे तक | 00 | 18 |
| 10.03.2021 | 1100 से 1132 बजे तक | 00 | 32 |
| 15.03.2021 | 1100 से 1229 बजे तक | 01 | 29 |
| 16.03.2021 | 1100 से 1250 बजे तक | 01 | 50 |
|            | 1254 से 1411 बजे तक | 01 | 17 |
|            | 2047 से 2145 बजे तक | 00 | 58 |
|            | 2246 से 2310 बजे तक | 00 | 24 |
| 17.03.2021 | 1100 से 1103 बजे तक | 00 | 03 |
|            | 1300 से 1408 बजे तक | 01 | 08 |
|            | 1708 से 1813 बजे तक | 01 | 05 |
| 18.03.2021 | 1100 से 1202 बजे तक | 01 | 02 |
|            | 1724 से 1801 बजे तक | 00 | 37 |
|            | 1958 से 2017 बजे तक | 00 | 19 |

**अध्यक्षपीठ में बिताया गया कुल समय** **30** **31**

| श्रीमती मीनाक्षी लेखी                    | बिताया गया समय                 | कुल समय   |     |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----|
|                                          |                                | घं.       | मि. |
| 03.02.2021                               | 1900 से 1902 बजे तक            | 00        | 02  |
| 04.02.2021                               | 1700 से 1712 बजे तक            | 00        | 12  |
|                                          | 2030 से 2100 बजे तक            | 00        | 30  |
| 08.02.2021                               | 2005 से 2204 बजे तक            | 01        | 59  |
| 11.02.2021                               | 2201 से 0005 बजे तक (अगले दिन) | 02        | 04  |
| 12.02.2021                               | 1743 से 1942 बजे तक            | 01        | 59  |
| 13.02.2021                               | 1521 से 1714 बजे तक            | 01        | 53  |
| 09.03.2021                               | 1201 से 1207 बजे तक            | 00        | 06  |
| 10.03.2021                               | 1433 से 1442 बजे तक            | 00        | 09  |
| 15.03.2021                               | 1229 से 1358 बजे तक            | 01        | 29  |
| 16.03.2021                               | 1804 से 1959 बजे तक            | 01        | 55  |
| 17.03.2021                               | 1503 से 1559 बजे तक            | 00        | 56  |
| 18.03.2021                               | 1501 से 1724 बजे तक            | 02        | 23  |
| 19.03.2021                               | 1100 से 1402 बजे तक            | 03        | 02  |
| 22.03.2021                               | 1336 से 1457 बजे तक            | 01        | 21  |
| 23.03.2021                               | 1259 से 1334 बजे तक            | 00        | 35  |
|                                          | 1531 से 1711 बजे तक            | 01        | 40  |
| <b>अध्यक्षपीठ में बिताया गया कुल समय</b> | <b>22</b>                      | <b>15</b> |     |

| श्री राजेन्द्र अग्रवाल                   | बिताया गया समय                                                    | कुल समय   |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                   | घं.       | मि.       |
| 04.02.2021                               | 1800 से 1802 बजे तक<br>1900 से 1902 बजे तक                        | 00        | 02        |
| 08.02.2021                               | 1753 से 1808 बजे तक                                               | 00        | 15        |
| 09.02.2021                               | 1650 से 1806 बजे तक                                               | 01        | 16        |
| 11.02.2021                               | 1649 से 1704 बजे तक                                               | 00        | 15        |
| 12.02.2021                               | 2012 से 2203 बजे तक                                               | 01        | 51        |
| 09.03.2021                               | 1402 से 1404 बजे तक                                               | 00        | 02        |
| 10.03.2021                               | 1230 से 1318 बजे तक                                               | 00        | 48        |
| 15.03.2021                               | 1358 से 1558 बजे तक                                               | 02        | 00        |
| 16.03.2021                               | 1959 से 2047 बजे तक<br>2145 से 2246 बजे तक                        | 00        | 46        |
| 17.03.2021                               | 1408 से 1503 बजे तक<br>1813 से 2042 बजे तक                        | 00        | 55        |
| 18.03.2021                               | 1202 से 1300 बजे तक<br>1801 से 1857 बजे तक                        | 00        | 58        |
| 19.03.2021                               | 1500 से 1700 बजे तक                                               | 02        | 00        |
| 22.03.2021                               | 1100 से 1336 बजे तक<br>1700 से 1803 बजे तक                        | 02        | 36        |
| 23.03.2021                               | 1711 से 1928 बजे तक<br>2031 से 2054 बजे तक                        | 02        | 17        |
| 24.03.2021                               | 1300 से 1311 बजे तक<br>1655 से 2103 बजे तक<br>2112 से 2144 बजे तक | 00        | 11        |
|                                          |                                                                   | 04        | 08        |
|                                          |                                                                   | 00        | 32        |
| <b>अध्यक्षपीठ में बिताया गया कुल समय</b> |                                                                   | <b>26</b> | <b>46</b> |

| श्रीमती रमा देवी | बिताया गया समय                             | कुल समय |     |
|------------------|--------------------------------------------|---------|-----|
|                  |                                            | घं.     | मि. |
| 08.02.2021       | 2204 से 2303 बजे तक                        | 00      | 59  |
| 09.02.2021       | 1806 से 1904 बजे तक                        | 00      | 58  |
| 11.02.2021       | 1757 से 2002 बजे तक                        | 02      | 05  |
| 13.02.2021       | 1250 से 1353 बजे तक                        | 01      | 03  |
| 08.03.2021       | 1900 से 1929 बजे तक                        | 00      | 29  |
| 15.03.2021       | 1558 से 1802 बजे तक                        | 02      | 04  |
| 16.03.2021       | 1544 से 1804 बजे तक                        | 02      | 20  |
| 17.03.2021       | 1559 से 1708 बजे तक                        | 01      | 09  |
| 18.03.2021       | 1406 से 1501 बजे तक<br>1857 से 1958 बजे तक | 00      | 55  |
| 19.03.2021       | 1402 से 1500 बजे तक                        | 01      | 00  |
|                  |                                            | 00      | 58  |

|                                          |                                            |            |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| 22.03.2021                               | 1457 से 1700 बजे तक<br>1931 से 2050 बजे तक | 02<br>01   | 03<br>19   |
| 23.03.2021                               | 1928 से 2031 बजे तक                        | 01         | 03         |
| <b>अध्यक्षपीठ में बिताया गया कुल समय</b> |                                            | <b>18</b>  | <b>25</b>  |
| <b>श्री भर्तृहरि महताव</b>               | <b>बिताया गया समय</b>                      | <b>कुल</b> | <b>समय</b> |
|                                          |                                            | घं.        | मि.        |
| 09.02.2021                               | 1904 से 2045 बजे तक                        | 01         | 41         |
| 13.02.2021                               | 1157 से 1250 बजे तक                        | 00         | 53         |
| 15.03.2021                               | 1931 से 2016 बजे तक                        | 00         | 45         |
| 19.03.2021                               | 1700 से 1932 बजे तक                        | 02         | 32         |
| 24.03.2021                               | 1311 से 1508 बजे तक                        | 01         | 57         |
| 25.03.2021                               | 1100 से 1215 बजे तक                        | 01         | 15         |
| <b>अध्यक्षपीठ में बिताया गया कुल समय</b> |                                            | <b>09</b>  | <b>03</b>  |
| <b>डॉ. किरिट पी. सोलंकी</b>              | <b>बिताया गया समय</b>                      | <b>कुल</b> | <b>समय</b> |
|                                          |                                            | घं.        | मि.        |
| 11.02.2021                               | 2002 से 2201 बजे तक                        | 01         | 59         |
| 15.03.2021                               | 1802 से 1931 बजे तक                        | 01         | 29         |
| 22.03.2021                               | 1803 से 1931 बजे तक                        | 01         | 28         |
| 23.03.2021                               | 1100 से 1259 बजे तक                        | 01         | 59         |
| 24.03.2021                               | 1508 से 1655 बजे तक                        | 01         | 47         |
| <b>अध्यक्षपीठ में बिताया गया कुल समय</b> |                                            | <b>08</b>  | <b>42</b>  |
| <b>श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी</b>          | <b>बिताया गया समय</b>                      | <b>कुल</b> | <b>समय</b> |
|                                          |                                            | घं.        | मि.        |
| 10.02.2021                               | 1753 से 1900 बजे तक                        | 01         | 07         |
| 16.03.2021                               | 1250 से 1254 बजे तक<br>1411 से 1544 बजे तक | 00<br>01   | 04<br>33   |
| 23.03.2021                               | 1334 से 1531 बजे तक                        | 01         | 57         |
| 24.03.2021                               | 1100 से 1300 बजे तक                        | 02         | 00         |
| <b>अध्यक्षपीठ में बिताया गया कुल समय</b> |                                            | <b>06</b>  | <b>41</b>  |
| <b>श्री एन.के. प्रेमचंद्रन</b>           | <b>बिताया गया समय</b>                      | <b>कुल</b> | <b>समय</b> |
|                                          |                                            | घं.        | मि.        |
| 08.02.2021                               | 1923 से 2005 बजे तक                        | 00         | 42         |
| 09.02.2021                               | 2131 से 2339 बजे तक                        | 02         | 08         |
| 10.02.2021                               | 1900 से 2052 बजे तक                        | 01         | 52         |
| 12.02.2021                               | 2203 से 2311 बजे तक                        | 01         | 08         |
| <b>अध्यक्षपीठ में बिताया गया कुल समय</b> |                                            | <b>05</b>  | <b>50</b>  |

| श्री कोडिकुन्नील सुरेश                   | बिताया गया समय      | कुल समय |     |
|------------------------------------------|---------------------|---------|-----|
|                                          |                     | घं.     | मि. |
| 08.02.2021                               | 2303 से 2355 बजे तक | 00      | 52  |
| 10.02.2021                               | 2052 से 2336 बजे तक | 02      | 44  |
| अध्यक्षपीठ में बिताया गया कुल समय        |                     | 03      | 36  |
| प्रो. एस. पी. सिंह बघेल,<br>वरिष्ठ सदस्य | बिताया गया समय      | कुल     | समय |
|                                          |                     | घं.     | मि. |
| 24.03.2021                               | 2103 से 2112 बजे तक | 00      | 09  |
| अध्यक्षपीठ में बिताया गया कुल समय        |                     | 00      | 09  |

## 27. सत्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों पर लिए गए समय को दर्शाने वाला विवरण

| कार्य                                                                                                                                                | लिया गया समय<br>घं.<br>मि. | लिए गए कुल<br>समय का<br>प्रतिशत |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>राष्ट्रपति का अभिभाषण</b>                                                                                                                         | 16                         | 58                              |
| विधेयक—                                                                                                                                              |                            |                                 |
| सरकारी विधेयक                                                                                                                                        | *35                        | 02                              |
| <b>बजट—</b>                                                                                                                                          |                            |                                 |
| (क) केन्द्रीय बजट                                                                                                                                    | 41                         | 57                              |
| (ख) राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के बजट                                                                                                           | 02                         | 21                              |
| <b>चर्चाएँ—</b>                                                                                                                                      |                            |                                 |
| अल्पकालिक चर्चाएँ (नियम 193)                                                                                                                         | 00                         | 26                              |
| <b>अविलंबनीय लोक महत्व के मामले</b>                                                                                                                  | 17                         | 16                              |
| नियम 377 के अधीन मामले                                                                                                                               | 00                         | 22                              |
| प्रश्न                                                                                                                                               | 04                         | 39                              |
| <b>संकल्प—</b>                                                                                                                                       |                            |                                 |
| (क) सांविधिक संकल्प                                                                                                                                  | *                          | —                               |
| (ख) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प                                                                                                                     | 01                         | 09                              |
| अन्य मामले, जैसे शपथ अथवा प्रतिज्ञान, सभा पटल पर रखे गए पत्र, निधन संबंधी उल्लेख, विशेषाधिकार के प्रश्न, व्यवस्था के प्रश्न, वैयक्तिक स्पष्टीकरण आदि | 11                         | 46                              |
| <b>कुल</b>                                                                                                                                           | <b>131</b>                 | <b>56</b>                       |
|                                                                                                                                                      |                            | <b>100</b>                      |

\*एक सांविधिक संकल्प [देखिए वक्तव्य सं. 2, क्रम सं 2-3] और संबंधित सरकारी विधेयकों पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर संयुक्त चर्चा की गई। संयुक्त चर्चा में लिए गए समय को सरकारी विधेयकों के अंतर्गत दर्शाया गया है।